



छत्तीसगढ़ शासन



प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2022-23



आदिम जाति विकास विभाग
अनुसूचित जाति विकास विभाग
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग





प्रथासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2022-23



छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति विकास विभाग
अनुसूचित जाति विकास विभाग
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग



छत्तीसगढ़ शासन

भार साधक मंत्री

- माननीय डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम

मंत्रालय

सचिव

- श्री डी.डी. सिंह

संयुक्त सचिव

- श्री एस. के. दुबे

वित्तीय सलाहकार

- श्री मुहम्मद यूनुस

संचालनालय

आयुक्त

- श्रीमती शम्मी आबिदी

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (TRI) रायपुर

संचालक

- श्रीमती शम्मी आबिदी





विषय-सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
भाग - एक		
1	विभाग की संरचना	1
2	विभाग का परिचय	2-3
3	विभाग का दायित्व एवं कार्य	4
4	विभाग के अधीन गठित आयोग/ मण्डल एवं अन्य समितियाँ	5-17
5	महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी	18-20
भाग - दो		
6	विभागीय बजट 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 (नवम्बर 2022 की स्थिति में)	21
7	विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का तुलनात्मक विवरण	22-28
भाग - तीन		
8	विभाग द्वारा संचालित शिक्षा संबंधी एवं अन्य प्रमुख योजनाएँ	29-82
9	छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम	83-88
10	वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन	89-91
11	अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना	92-93
भाग - चार		
12	आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	94-106
भाग - पांच		
14	फ्लैगशिप योजनाएँ	107-117
भाग - छः		
16	सारांश	118-120





भाग - एक






छत्तीसगढ़ का मानचित्र



विभाग की संरचना





विभाग का परिचय

भारत के संविधान के अनुच्छेद-46, में सौंपे गए कर्तव्य ‘अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए’ संविधान के अनुच्छेद-244 एवं संविधान के अनुच्छेद-275 (1) में विहित दायित्वों के निर्वहन के लिए संविधान के अनुच्छेद-164 के अंतर्गत विहित प्रावधान के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का गठन किया गया है।

भारत के संविधान में व्यक्त ‘सामाजिक न्याय’ के संकल्प ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ‘समानता के अधिकार’ से संपन्न करते हुए उनकी प्रगति के रास्ते खोल दिए हैं।

संविधान की मंशा के अनुरूप आदिवासियों और अनुसूचित जाति के शैक्षणिक विकास एवं आर्थिक उन्नति की योजनाएँ बनीं। उन्हें क्रियान्वित कर संबंधित वर्गों को विकास-यात्रा में शामिल करने के निरंतर प्रयास हुए। इन प्रयासों के परिणाम भी सामने आए। इन वर्गों के लिए मानव अधिकार सूचकांक में अपेक्षाकृत सुधार परिलक्षित हुआ है। साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदायों की विशिष्ट उपलब्धियाँ रेखांकित की जाने लगीं हैं। सामाजिक, आर्थिक विकास के फलस्वरूप इन वर्गों की प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि हुई है। शासन-प्रशासन में इनकी सहभागिता सम्मानजनक रूप से बढ़ी है। फिर भी विकास की यह यात्रा अभी और लंबी है एवं प्रगति के अनगिनत सोपान तय किए जाने हैं।

प्रशासनिक संरचना :-

विभाग की प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत माननीय मंत्री जी के निर्देशन में विभाग के प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के दायित्वों का भी निष्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रतिबद्धता केवल आदिवासियों के विकास के लिए ही नहीं, बल्कि उनके उत्पीड़न के उन्मूलन के लिए भी है। साथ ही साथ यह विभाग आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए समाज के अन्य पिछड़े, शोषित एवं वंचित वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए कृत संकल्प है।

अ. मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर सचिव का पद सृजित है। मंत्रालय स्तर पर सचिव के अधीनस्थ विभागीय कार्यों के संपादन के लिए संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, वित्तीय सलाहकार तथा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी कार्यरत हैं।

आदिम जाति और अनुसूचित जाति समुदायों के विकास की योजनाएँ तैयार कर उन्हें बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने का दायित्व मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय का है। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यों की व्यवस्था एवं अनुश्रवण



से संबंधित समस्त प्रशासनिक विभागों के विकास कार्यक्रमों / योजनाओं की समीक्षा नोडल विभाग के रूप में की जाती है। अन्य विकास विभागों से समन्वय की भूमिका भी इस विभाग की है। अतः अनुसूचित वर्गों के समुचित विकास के संदर्भ में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की दोहरी जिम्मेदारी है।

ब. विभागाध्यक्ष

छत्तीसगढ़ में आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण हेतु एक विभागाध्यक्ष पद का सृजन किया गया है। विभाग के विभागाध्यक्ष आयुक्त होते हैं। आयुक्त मुख्यालय अमला एवं क्षेत्रीय अमला के मुख्य नियंत्रणकर्ता अधिकारी होते हैं। मुख्यालय स्तर पर आयुक्त के अधीनस्थ संचालक, अपर संचालक, उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी कार्यरत हैं।

विधि प्रकोष्ठ :-

विधि प्रकोष्ठ में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधिकरणों में प्रस्तुत मामलों का प्रभारी अधिकारी नियुक्त कराने, प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत कराने, प्रकरणों का निपटारा कराने, सही समय पर शासन का पक्ष प्रस्तुत करने के साथ अनुश्रवण एवं समीक्षा के कार्य किए जाते हैं। विधि प्रकोष्ठ का प्रमुख उपायुक्त स्तर का अधिकारी होता है। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में होने के कारण यह कार्यालय भी बिलासपुर में रखे जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय को रायपुर से बिलासपुर स्थानांतरित किया गया है।

स. जिला स्तर

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में विभागीय कार्यक्रमों / योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभागीय सहायक आयुक्त के पद स्वीकृत हैं। इनके द्वारा मुख्यतः जिले में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति के विकास हेतु छात्रावास, आश्रम, स्कूल का प्रबंधन, अनुश्रवण एवं समीक्षा जिलाध्यक्ष के नियंत्रण में सम्पन्न किया जाता है। सहायक आयुक्त कार्यालय के अधीन जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, माडा पाकेट, लघु अंचल एवं विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण होते हैं। प्रदेश के 85 विकासखण्ड आदिवासी विकासखण्ड घोषित हैं। इन विकासखण्डों में 85 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में 09 माडा पॉकेट, 02 लघु अंचल तथा 08 विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण एवं 10 विशेष रूप से कमजोर जनजाति प्रकोष्ठ संचालित हैं।

द. परियोजना स्तर

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आदिवासी जनसंख्या के आधार पर एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ संचालित हैं। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय के प्रमुख परियोजना प्रशासक संयुक्त संचालक स्तर के होते हैं। राज्य में कुल 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ संचालित हैं।



विभाग का दायित्व एवं कार्य

- संविधान की पाँचवी अनुसूची के अधिकारों और आदिवासी क्षेत्रों के हितों के संरक्षण के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करना।
- अनुसूचित जाति / जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं का संचालन।
- आदिवासी उपयोजना तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों को बजट आबंटन उपलब्ध कराना, नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना एवं योजनाओं का अनुश्रवण करना।
- विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
- पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रमों / योजनाओं का संचालन।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अन्य सक्षम वर्गों के द्वारा शोषित एवं उत्पीड़ित किए जाने की स्थिति में शोषित वर्गों को संवैधानिक संरक्षण, राहत एवं पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासकीय व्यवस्था करने का दायित्व।

विभाग का कार्य :-

- विभागीय अमले से संबंधित समस्त प्रशासकीय कार्य।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास की योजनाओं के लिए बजट आबंटन उपलब्ध कराना। मांग संख्या 15,33,41,49,64,66,68 एवं 82 के अंतर्गत आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन।
- आदिवासी उपयोजना तथा अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत विभिन्न विभागों को प्राप्त बजट आबंटन की निरंतर समीक्षा एवं योजनाओं का अनुश्रवण।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का निर्माण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन। केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के संचालन का अनुश्रवण।
- विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- अनुसूचित जाति, जनजाति के जाति प्रमाण—पत्रों का परीक्षण।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम—1989, संशोधन अधिनियम 2015 एवं संशोधन अधिनियम 2018, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम—1955, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 का क्रियान्वयन एवं हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन की समीक्षा।
- आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत सतत परिवर्तन का अध्ययन तथा नियमित अनुसंधान एवं समस्याओं का अनवरत आकलन कर वैज्ञानिक समाधान के साथ आवश्यक सुझाव देना।



विभाग के अधीन गठित आयोग/मंडल एवं अन्य समितियाँ

1. जनजाति सलाहकार परिषद :-

संविधान की पाँचवीं अनुसूची के प्रावधान अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में समीक्षा हेतु मान. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रणा परिषद् गठन का प्रावधान है, जिसके उपाध्यक्ष विभागीय मंत्री जी होते हैं। साथ ही इस परिषद का सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास होता है। इसमें तीन चौथाई सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के विधानसभा सदस्य होने चाहिए। छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्र./एफ-20-2/2019/25-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक-23 जुलाई 2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् नियम 2006 के उप नियम 3 एवं 4 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के लिए इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.06.2014 एवं 02.12.2016 द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है :—

1. मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2. मान. डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मंत्री, आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग	उपाध्यक्ष
3. मान. श्री रामपुकार सिंह, विधायक, पत्थलगांव	उपाध्यक्ष
4. मान. श्री अमरजीत भगत, मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी संस्कृति विभाग	सदस्य
5. मान. श्री लखेश्वर बघेल, विधायक, बस्तर	सदस्य
6. मान. श्री बृहस्पति सिंह, विधायक, रामानुजगंज	सदस्य
7. मान. श्री गुलाब कमरो, विधायक, भरतपुर-सोनहत	सदस्य
8. मान. श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव, विधायक, नगरी सिहावा	सदस्य
9. मान. श्री दीपक बैज, सांसद, बस्तर	सदस्य
10. मान. श्री मोहन मरकाम, विधायक, कोणडागांव	सदस्य
11. मान. श्री चिंतामणी महाराज, विधायक, सामरी	सदस्य
12. मान. श्री विनय भगत, विधायक, जशपुर	सदस्य
13. मान. श्री चक्रधर सिंह, विधायक, लैलूंगा	सदस्य
14. मान. श्री शिशुपाल शोरी, विधायक, कांकेर	सदस्य
15. मान. श्री अनूप नाग, विधायक, अंतागढ़	सदस्य
16. मान. श्री इंद्रशाह मण्डावी, विधायक, मोहला-मानपुर	सदस्य



17. मान. श्री बोधराम कंवर, पूर्व विधायक, कटघोरा	सदस्य
18. श्रीमती किरन उसेण्डी, सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
19. श्री के.आर. पिस्दा, सेवानिवृत्त आई.ए.एस.	सदस्य
20. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग	सदस्य / सचिव
2 – विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे विधान सभा के सदस्य रहेंगे। अन्य सदस्य परिषद में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिषद के सदस्य रहेंगे।	सदस्य / सचिव

माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 09.07.2022 को आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के आरक्षण के संबंध में चर्चा एवं परामर्श हेतु परिषद की विशेष बैठक का आयोजन दिनांक 24.11.2022 को किया गया।

2. अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों के हितों की सुरक्षा के लिये छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-16-42 / 2022 / 25-2 दिनांक 20 जनवरी 2023 द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद नियम 2022के उपनियम-3 के प्रावधान अनुसार राज्य में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया है :—

1. मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2. मंत्री, अनुसूचित जाति विकास विभाग	उपाध्यक्ष
3. डॉ. शिव कुमार डहरिया, विधायक आरंग	सदस्य
4. श्री गुरु रुद्र कुमार, विधायक अहिवारा	सदस्य
5. श्री भुनेश्वर बघेल, विधायक डोंगरगढ़	सदस्य
6. श्री चन्द्रदेव राय, विधायक बिलाईगढ़	सदस्य
7. श्री किरमत लाल नंद, विधायक सराईपाली	सदस्य
8. श्री गोरेलाल बर्मन, पूर्व विधायक पामगढ़	मनोनीत सदस्य
9. श्री जेठूराम मनहर, रानीसागर सारंगढ़	मनोनीत सदस्य
10. श्री मुकेश कोसरे, भखारा, धमतरी	मनोनीत सदस्य
11. श्री चन्द्रभान बारामसे, पूर्व विधायक, मुंगेली	मनोनीत सदस्य
12. श्री दिलीप लहरिया, पूर्व विधायक मस्तूरी, बिलासपुर	मनोनीत सदस्य
13. श्री चैनसिंह सामले, पूर्व विधायक जांजगीर चांपा	मनोनीत सदस्य
14. श्रीमती बसंती बघेल पति श्री योगेश बघेल, बाजारपारा	मनोनीत सदस्य
पानी की टंकी के पास, वार्ड नं.-11, बागबाहरा	



15. श्रीमती विलास तिहारुराम सारथी, जिला पंचायत सदस्य	मनोनीत सदस्य
ग्राम व पोस्ट लेन्ड्रा, तहसील बरमकेला जिला रायगढ़	
16. श्री खिलावन बघेल, ईसाईपारा वार्ड नं०-९, महासमुन्द	मनोनीत सदस्य
17. श्री झगरराम सूर्यवंशी, ब्लाक अध्यक्ष, कांग्रेस, ग्राम मटियारी पोस्ट-जांझी,	मनोनीत सदस्य
व्हाया-जयरामनगर, थाना सीपत, तहसील व जिला-बिलासपुर	
18. श्री मोहनसिंह गंधर्व, ग्राम व पोस्ट कुथरेल, थाना-अण्डा जिला-दुर्ग	मनोनीत सदस्य
19. श्रीमती विमला सागर, पति श्री के.आर.सागर, वार्ड नं.-१०	मनोनीत सदस्य
शिव मंदिर के पास, ईमलीभाठा, महासमुन्द	
20. श्री राधेश्याम विभार, अध्यक्ष, साई बाबा मंदिर, डब्ल्यूआरएस	मनोनीत सदस्य
कालोनी वार्ड क्रमांक-६, रायपुर	
(1) भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, अनुसूचित जाति विकास विभाग इस परिषद के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।	
(2) विधानसभा में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे विधानसभा के सदस्य रहेंगे।	
(3) मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम एक वर्ष का रहेगा।	
3. अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद	
छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों के हितों की सुरक्षा के लिये छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-१६-४३/२०२२ / २५-२ दिनोंक २० जनवरी २०२३ द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद नियम २०२२के उपनियम-३ के प्रावधान अनुसार राज्य में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया है :-	
1. मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2. मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग	उपाध्यक्ष
3. श्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री, गृह, लोक निर्माण, जेल, पर्यटन एवं धर्मस्व विभाग	सदस्य
4. श्री धनेन्द्र साहू, विधायक, अभनपुर	सदस्य
5. श्री दलेश्वर साहू, विधायक, डोंगरगांव	सदस्य
6. श्री रामकुमार यादव, विधायक, चन्द्रपुर	सदस्य
7. श्री विनोद चन्द्राकर, विधायक, महासमुन्द	सदस्य
8. श्री द्वारिकाधीश यादव, विधायक, खल्लारी	सदस्य
9. श्री पारसनाथ राजवाडे, विधायक, भटगांव	सदस्य



10. डॉ. विनय जायसवाल, विधायक, मनेन्द्रगढ़	सदस्य
11. श्री हनमत प्रसाद साहू, रामसागर पारा, सिन्धी हाईस्कूल के पीछे, रायपुर, पिन 492001	मनोनीत सदस्य
12. श्री गेबीनाथ साहू, अधिवक्ता एवं पार्षद नगरपालिका निवास कृषि मण्डी, सूरजपुर पिन 497229	मनोनीत सदस्य
13. श्री अजीत साहू, जिला पंचायत सदस्य, रमन नगर वार्ड क्रमांक-8 जांजगीर चांपा	मनोनीत सदस्य
14. श्री देवाराम साहू, ग्राम एवं पोस्ट डोकला, तहसील-चारामा जिला कांकेर पिन 494337	मनोनीत सदस्य
15. श्री चोवाराम वर्मा, ग्राम-चरौदा, पोस्ट-तर्ता, व्हाया-मांदर कालोनी, जिला-रायपुर.	मनोनीत सदस्य
16. श्री विशाल देशमुख, जैन डेयरी के सामने, विद्युतनगर, दुर्ग पिन 491001.	मनोनीत सदस्य
17. श्री छोटेलाल कश्यप, (वकील) सामाजिक नेता जोबी (कृषि विज्ञान केन्द्र के पास) जांजगीर चांपा.	मनोनीत सदस्य
18. श्री दाउलाल चन्द्राकर, महासमुन्द मोटर्स, बस स्टेण्ड के सामने, जिला-महासमुन्द	मनोनीत सदस्य
19. श्री राघेलाल यादव, अध्यक्ष, कोसरिया यादव समाज, ग्राम एवं पोस्ट कोरासी तहसील आरंग जिला रायपुर पिन 492001	मनोनीत सदस्य
20. श्री जगनीक यादव, 661, डहलिया, तालपुरी कालोनी, बी-ब्लॉक, रुआबांधा, भिलाई पिन 490006	मनोनीत सदस्य
21. श्री कृष्ण कुमार यादव, देवकी नन्दन स्कूल के पास, बृहस्पति बाजार, चाटापारा, तिलकनगर, बिलासपुर	मनोनीत सदस्य
22. श्री मनमंजन पटेल, ग्राम बनसुलीडीह, तहसील-बसना जिला-महासमुन्द	मनोनीत सदस्य
23. श्री रोमनाथ जैन, अलबेलापारा, कांकेर, उपभोक्ता डिपो के पीछे, कांकेर पिन 494334	मनोनीत सदस्य
24. श्री बिसौहा सोनकर, फिंगेश्वर, तहसील-राजिम जिला-गरियाबन्द	मनोनीत सदस्य
25. श्री भूषणलाल देवांगन, आर-19, गणपति विहार वार्ड नं-52 बोरसी दुर्ग	मनोनीत सदस्य
26. श्री सुरेश कुमार ढीमर, वार्ड नं.-1, बाजारपारा धमधा, तहसील-धमधा जिला-दुर्ग मोबाइल नं.-9098837205	मनोनीत सदस्य



27. श्री लोकनाथ राठौर, ग्राम—बहिगांव, तहसील—केशकाल, जिला'कोणडागांव पिन 494230	मनोनीत सदस्य
28. श्री राजेन्द्र चक्रधारी, पूजा राईस मिल के सामने, सिहावा रोड, दानीटोला, धमतरी जिला—धमतरी.	मनोनीत सदस्य
29. श्री जे.के.विश्वकर्मा, कबीरनगर, बोरियाखुर्द, विश्वकर्मा जिम के पास, रायपुर	मनोनीत सदस्य
30. श्री सूरज निर्मलकर, राजधानी ड्राईक्लीनर्स, ऐश्वर्या रेजीडेन्सी, क्षीआईपी रोड, तेलीबांधा रायपुर.	मनोनीत सदस्य
31. श्री श्याम लाल प्रधान, ग्राम कनठी, पोस्ट करजी, थाना—दरिमा हवाई पट्टी रोड, जिला—सरगुजा	मनोनीत सदस्य
32. श्री रामचंद पटेल, ग्राम व पोस्ट खटियापाटी, तहसील एवं जिला—बलौदाबाजार	मनोनीत सदस्य
33. श्री कमलेश्वर वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, लोधी समाज, ग्राम—जोगी दल्ली पोस्ट—भैंसातरा, थाना—ठेलकीडीह, जिला—राजनांदगांव	मनोनीत सदस्य
34. श्री प्रदीप ताम्रकार, प्रदेश महासचिव, कांग्रेस सेवादल, ग्राम—तखतपुर श्री दुर्गा चौक, राममंदिर के सामने, तखतपुर बिलासपुर.	मनोनीत सदस्य
35. श्री श्रवण सोनी, ब्लाक कालोनी, बंधन बैंक के पास, आरंग जिला—रायपुर.	मनोनीत सदस्य
36. श्री ओमप्रकाश मानिकपुरी, श्रीरामनगर चौक, 65 घरदास—इन्टरप्राइजेस, चंगोराभाठा, रायपुर	मनोनीत सदस्य
(1) भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग इस परिषद के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।	
(2) विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे विधानसभा के सदस्य रहेंगे।	
(3) मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम एक वर्ष का रहेगा।	
4. राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति :-	
राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 23 सहपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 यथा संशोधन नियम, 2018 के नियम 16 के अंतर्गत दिनांक 05.03.2019 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 55 सदस्यीय राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति का पुनर्गठन किया गया है। पूर्व में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक दिनांक 25.08.2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित की जा चुकी है। जिला स्तर पर कैलेण्डर वर्ष 2022 में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की 71 बैठकें आयोजित की गई है।	



5. छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग :-

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम—1995 के प्रावधानों के अनुसार तीन सदस्यीय आयोग गठित हैं। वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष के पद पर मान.श्री भानुप्रताप सिंह एवं उपाध्यक्ष के पद पर सुश्री राजकुमारी दीवान तथा सदस्य के पद पर श्री नितिन पोटाई, श्री गणेश सिंह ध्रुव, श्री अमृत टोपो, श्रीमती अर्चना पोर्ट पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग हेतु राशि रु. 211.86 लाख का प्रावधान है। प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 211.86 पुनरावंटित की गई है।

6. छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति आयोग :-

राज्य में अनुसूचित जाति के हित प्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष के पद पर श्री के.पी. खाण्डे एवं सदस्य के पद पर श्रीराम पण्डि बघेल, श्री बी.एस. जागृत, श्री संतोष सारथी एवं श्री रमेश पेगवार पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति आयोग हेतु राशि रु. 254.10 लाख का प्रावधान है। प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 254.10 लाख की राशि पुनरावंटित की गई है।

7. छ.ग. राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग :-

अन्य पिछड़ा वर्ग के जातियों के सतत् पहचान, खोजबीन तथा फर्जी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने, शासकीय सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सुझाव देने तथा इस वर्ग के हित प्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1995 के प्रावधान अनुसार अध्यक्ष पद पर श्री थानेश्वर साहू पदस्थ हैं एवं सदस्य के पद पर श्री महेश चन्द्रवंशी, श्री आर.एन. वर्मा, श्री साधुचरण यादव, श्रीमती किरण सिन्हा एवं श्री गिरवर साहू पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में छ.ग. राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग हेतु राशि रु. 302.70 लाख का प्रावधान है। प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 302.70 लाख की राशि पुनरावंटित की गई है।

8. राज्य अल्प संख्यक आयोग :-

राज्य में अल्पसंख्यकों को संवैधानिक प्रगति का मूल्यांकन, अल्पसंख्यक के विरुद्ध किसी भेदभाव के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन, दूर करने के उपाय, अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विषयों अध्ययन, अनुसंधान, विश्लेषण के उद्देश्य के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग नियम 1996 की धारा—3 (2) के तहत अध्यक्ष एवं सदस्य का पद स्वीकृत है, जिसमें अध्यक्ष श्री महेन्द्र छाबड़ा जी को मनोनीत किया गया है, तथा दो सदस्य श्री हफीज कुरैशी एवं श्री अनिल जैन का मनोनयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य अल्पसंख्यक आयोग हेतु राशि रु. 303.90 लाख का प्रावधान है। प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 303.90 लाख की राशि पुनरावंटित की गई है।

9. छ.ग. राज्य हज कमेटी :-

हज कमेटी एकट 2002 के प्रावधान अनुसार राज्य में हज कमेटी गठित है। हज कमेटी का मुख्य कार्य प्रदेश के हज यात्रियों के लिए संपूर्ण व्यवस्था करना, सेंट्रल हज कमेटी एवं विदेश मंत्रालय भारत सरकार से समय—समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुरूप हज यात्रियों की व्यवस्था हज यात्रियों के आवेदन प्राप्त करना,



पंजीयन, चयन, प्रशिक्षण, टीकाकरण, पासपोर्ट आदि तैयार करवाना है। कमेटी अंतर्गत वर्तमान में 08 सदस्यों का मनोनयन किया गया है, वर्तमान में श्री असलम खान, अध्यक्ष के पद पदस्थ हैं एवं श्री साजिद मेमन पदेन सदस्य के रूप में पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य हज कमेटी हेतु राशि रु. 130.00 लाख का प्रावधान है। प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 52.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

10. छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड :-

वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्य मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान व दरगाह, ईदगाह की देखरेख, केन्द्रीय वक्फ बोर्ड अधिनियम—1995 के तहत निर्देशों का पालन मुतवलियों का चुनाव सम्पन्न करना आदि है। वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष के पद श्री गुलाम मिन्हाजुद्दीन एवं सदस्य के पद पर श्री इमरान मेमन, श्री फैसल रिवजी, मो. फिरोज खान, सुश्री इफकत आरा खान तथा श्री साजिद मेमन पदेन सदस्य के रूप में पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड हेतु राशि रु. 150.00 लाख का प्रावधान है। जिसमें से राशि रु. 150.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

11. छ.ग. राज्य उर्दू अकादमी :-

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 01.10.2003 द्वारा उर्दू अकादमी का गठन किया गया है। अकादमी का कार्य छ0ग0 राज्य में उर्दू भाषा, तालिम एवं उर्दू साहित्य के प्रोत्साहन संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयत्न करना, नए रचनात्मक / आलोचनात्मक उर्दू साहित्य प्रकाशन, साहित्य सम्मेलन, परिचर्चा, गोष्ठियों, बीमार लेखकों को आर्थिक मदद करना आदि है। वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर श्री इदरीश गांधी एवं उपाध्यक्ष के पद पर डॉ. नजीर कुरैशी तथा 14 सदस्य के रूप में पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में छ.ग.राज्य उर्दू अकादमी हेतु राशि रु. 200.00 लाख का प्रावधान है। जिसमें से राशि रु. 200.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

12. वक्फ न्यायाधीकरण :-

वक्फ संपत्तियों संबंधी विषयों के निराकरण के लिए राज्य में वक्फ अधिकरण गठित है। पीठासीन अधिकारी के पद पर श्रीमती किरण चतुर्वेदी, पीठासीन अधिकारी (जिला न्यायाधीश) के पद पदस्थ है तथा सदस्य श्री शकील अहमद, अधिवक्ता का मनोनयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में वक्फ न्यायाधीकरण हेतु राशि रु. 91.40 लाख का प्रावधान है। प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 91.40 लाख की राशि पुनर्बांटित कर दी गई है।

13. सर्वेक्षण आयुक्त :-

वक्फ संपत्तियों संबंधी विषयों के निराकरण के लिए राज्य में वक्फ सर्वेक्षण गठित है। वर्तमान में सर्वेक्षण आयुक्त के पद पर श्रीमती शम्मी आबिदी (आई.ए.एस.) पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में सर्वेक्षण आयुक्त हेतु राशि रु. 6.30 लाख का प्रावधान है।



14. छ.ग. तेलघानी विकास बोर्ड :-

छ.ग. तेलघानी विकास बोर्ड का गठन छ.ग. शासन आ.जा.तथा अनु.जा. विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक / एफ 19–04 / 2021 / 25–1 दिनांक 16.07.2021 के द्वारा किया गया है। छ.ग. राज्य तेलघानी योजनाओं के माध्यम से स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उन्नत प्रशिक्षण एवं उन्नत उपकरण प्रदान करना, तेलघानी को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना, स्वरोजगार स्थापित करने लिए बैंकों से ऋणग्रस्त तेलघानी को राज्य शासन के योजना अंतर्गत आवश्यक मदद करना तथा छ.ग. में तेलघानी को बढ़ावा देना तथा तेलघानी से संबंधित गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के रूचि को प्रोत्साहन देने के लिए छ.ग. राज्य तेलघानी विकास बोर्ड का गठन किया गया है। वर्तमान में छ.ग. राज्य तेलघानी विकास बोर्ड में अध्यक्ष के पद पर मान. श्री संदीप साहू एवं सदस्य के रूप में श्री शैलेन्द्र साहू श्री लक्ष्मी गुप्ता एवं श्री रोहित साहू पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में ४००० तेलघानी विकास बोर्ड हेतु राशि रु. 40.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 40.00 लाख पुनरावंटित किया गया है।

15. छ.ग. लौह शिल्पकार विकास बोर्ड :-

छ.ग. लौह शिल्पकार विकास बोर्ड का गठन छ.ग. शासन आ.जा.तथा अनु.जा.विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक / एफ 19–02 / 2021 / 25–1 दिनांक 06.08.2021 के द्वारा किया गया है। राज्य में लौह शिल्पकार को योजनाओं के माध्यम से स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उन्नत प्रशिक्षण एवं उन्नत उपकरण प्रदान करना, लौह शिल्पकार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना, स्वरोजगार स्थापित करने लिए बैंकों से ऋणग्रस्त लौह शिल्पकार को राज्य शासन के योजना अंतर्गत आवश्यक मदद करना तथा छ.ग. में लौह शिल्पकार को बढ़ावा देना तथा लौह शिल्पकार से संबंधित गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के रूचि को प्रोत्साहन देने के लिए छ.ग. लौह शिल्पकार को राज्य शासन के योजना अंतर्गत आवश्यक मदद करना तथा छ.ग. में लौह शिल्पकार को बढ़ावा देना तथा लौह शिल्पकार से संबंधित गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के रूचि को प्रोत्साहन देना। वर्तमान में लौह शिल्पकार विकास बोर्ड का गठन किया गया है। वर्तमान में छ.ग. राज्य लौह शिल्पकार विकास बोर्ड में अध्यक्ष के पद पर मान. श्री लोचन विश्वकर्मा एवं उपाध्यक्ष के पद में श्री विष्णु विश्वकर्मा तथा सदस्य के पद पर श्री शंकरलाल विश्वकर्मा, श्री गोविन्दराम विश्वकर्मा एवं श्री धनीराम विश्वकर्मा पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में छ.ग. लौह शिल्पकार विकास बोर्ड हेतु राशि रु. 40.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

16. छ.ग. चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड :-

छ.ग. चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड का गठन छ.ग. शासन आ.जा.तथा अनु.जा. विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक / एफ 19–01 / 2021 / 25–1 दिनांक 06.08.2021 के द्वारा किया गया है। बोर्ड के माध्यम से चर्म शिल्पकार को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उन्नत प्रशिक्षण एवं उन्नत उपकरण प्रदान करना तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना, स्वरोजगार स्थापित करने लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में छ.ग. राज्य चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड में अध्यक्ष के पद पर



मान. श्री तरुण बिजौर एवं उपाध्यक्ष के पद में श्री खिलावन बघेल तथा सदस्य के पद पर श्री किशोर कन्नौजे, सरोजनी रात्रे एवं तुलसी दौड़िया पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में छ.ग. चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड हेतु राशि रु. 40.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

17. छ.ग. रजककार विकास बोर्ड :-

छ.ग. रजककार विकास बोर्ड का गठन छ.ग. शासन आ.जा.तथा अनु.जा.विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक /एफ 19–03/2021/25–1 दिनांक 06.08.2021 के द्वारा किया गया है। बोर्ड के द्वारा रजककार योजना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उन्नत प्रशिक्षण एवं उन्नत उपकरण प्रदान करना तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना, स्वरोजगार स्थापित करने लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य हैं। वर्तमान में छ.ग. रजककार विकास बोर्ड में अध्यक्ष के पद पर मान. श्री लोकेश कन्नौजे एवं उपाध्यक्ष के पद में श्री दुखवा राम निर्मलकर तथा सदस्य के पद पर श्री भुनेश्वर निर्मलकर, श्री राजेन्द्र रजक एवं श्री लक्ष्मीकांत निर्णजक पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में छ.ग. रजककार विकास बोर्ड हेतु राशि रु. 40.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

18. छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति

भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान राशि से वर्तमान में प्रदेश में 73 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। जिनके संचालन हेतु एक राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति गठित है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु राज्य स्तर पर मान.मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अध्यक्ष होते हैं तथा अन्य विभाग के सचिवगण सदस्य होते हैं आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, समिति के पदेन सचिव होते हैं। संचालक मंडल की बैठक प्रत्येक 03 माह में आयोजित की जाती है।





आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

छ.ग. राज्य के गठन के तत्काल पश्चात् राज्य शासन द्वारा यह महसूस किया गया है कि राज्य के आदिवासी अंचल एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए। फलस्वरूप आदिवासी/अनुसूचित जाति अंचलों के विकास हेतु वर्ष 2004 में प्राधिकरणों का गठन किया गया था। छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 4-1 /2019/एक/6, अटल नगर रायपुर दिनांक 27.02.2019 के द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों का पुनर्गठन एवं छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-4-3/2020/एक/06, अटल नगर रायपुर, दिनांक 26.08.2020 द्वारा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

- अ. बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
- ब. सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
- स. मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
- द. अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

उद्देश्य :-

आदिवासी विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत जनजाति समुदाय के विकास हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा तथा अनुश्रवण किया जाना है। क्षेत्र में निवासरत जनजाति समुदायों के आर्थिक विकास, संस्कृति के संरक्षण, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा अंचल के विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जाति समुदाय के विकास हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा तथा अनुश्रवण किया जाना है। क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जाति समुदायों के आर्थिक विकास, संस्कृति के संरक्षण, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा अंचल के विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है।

गठन एवं विस्तार :-

बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :- बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र बस्तर संभाग के राजस्व जिले क्रमशः— बस्तर, कोडागांव, दक्षिण बस्तर दन्तोवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, एवं सुकमा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव आयुक्त बस्तर संभाग है, तथा मुख्यालय जगदलपुर है।





बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूँजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल प्रावधानित राशि रु. 5500.00 लाख के विरुद्ध निर्माण कार्य एवं हितग्राही मूलक कार्यों हेतु राशि रु. 5280.00 लाख जारी किए गए।

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :- सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र सरगुजा संभाग के सम्पूर्ण राजस्व जिले क्रमशः— सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर—रामानुजगंज, जशपुर एवं कोरिया जिला है। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के सदस्य सचिव आयुक्त सरगुजा संभाग है, तथा मुख्यालय अम्बिकापुर है।

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूँजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल प्रावधानित राशि रु. 3500.00 लाख के विरुद्ध निर्माण कार्य एवं हितग्राही मूलक कार्यों हेतु राशि रु. 3280.00 लाख जारी किए गए।

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :- मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्व जिला कोरबा के अतिरिक्त जिला क्रमशः— गरियाबंद, धमतरी, महासमुन्द, बलोदाबाजार—भाटापारा, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, रायगढ़ के आंशिक क्षेत्र जो आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित हैं। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के सदस्य सचिव आयुक्त रायपुर संभाग है, तथा मुख्यालय रायपुर है।



मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूँजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल प्रावधानित राशि रु. 3300.00 लाख के विरुद्ध निर्माण कार्य एवं हितग्राही मूलक कार्यों हेतु राशि रु. 2880.00 लाख जारी किए गए।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण :-

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है। जिन ग्रामों, पारा, वार्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक है, यहां कार्य लिये जाते हैं।

प्रावधान :-

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 25 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्रों में भी आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। वर्ष 2022–23 में प्रावधानित राशि रु. 3550.00 लाख के विरुद्ध राशि 3130.00 लाख जारी किए गए।



विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति विकास अभिकरण :-

छ.ग.राज्य में भारत सरकार द्वारा घोषित 05 विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह क्रमशः बैगा, पहाड़ी कोरवा, अबूझमारिया, कमार एवं बिरहोर निवासरत हैं। इनके लिये समग्र विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु 06 विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति विकास अभिकरण एवं 10 प्रकोष्ठ का निम्नानुसार गठन किया गया है :—

क्र.	जिला	विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति विकास अभिकरण/प्रकोष्ठ का नाम
		3
1	2	
1	कबीरधाम	बैगा विकास अभिकरण – कबीरधाम
2	मुंगेली	बैगा विकास प्रकोष्ठ – मुंगेली
3	राजनांदगांव	बैगा विकास प्रकोष्ठ – राजनांदगांव
4	कोरिया	बैगा विकास प्रकोष्ठ – बैकुंठपुर
5	बिलासपुर	बिरहोर विकास प्रकोष्ठ – बिलासपुर
6	सरगुजा	पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण – अम्बिकापुर
7	बलरामपुर	पहाड़ी कोरवा विकास प्रकोष्ठ – बलरामपुर
8	जशपुर	पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास अभिकरण – जशपुर
9	कोरवा	पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ – कोरवा
10	रायगढ़	बिरहोर विकास प्रकोष्ठ – धरमजयगढ़
11	गरियाबंद	कमार विकास अभिकरण – गरियाबंद
12	धमतरी	कमार विकास प्रकोष्ठ – नगरी
13	कांकेर	कमार विकास प्रकोष्ठ – भानुप्रतापपुर
14	महासमुंद	कमार विकास प्रकोष्ठ – महासमुंद
15	नारायणपुर	अबूझमाड़ विकास अभिकरण – नारायणपुर
16	गौरेला–पेण्ड्हा–मरवाही	बैगा विकास अभिकरण – गौरेला–पेण्ड्हा–मरवाही

छत्तीसगढ़, आ.जा. तथा अनु.जा.वि.वि. के आदेश क्र. /एफ-20-05 / 2013 / 25-2 दिनांक 14.09.2022 द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, बिलासपुर जिला-बिलासपुर के क्षेत्राधिकार का परिसीमन करते हुए नवीन विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति बैगा विकास अभिकरण गौरेला–पेण्ड्हा–मरवाही एवं विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति बिरहोर विकास प्रकोष्ठ, बिलासपुर का गठन किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 06 अभिकरण एवं 10 प्रकोष्ठ गठित हैं।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये पीलीटीजी स्कीम अंतर्गत राशि रु. 3296.27 लाख की कार्ययोजना भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है जिस पर स्वीकृति अपेक्षित है।



केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (PVTG Scheme) मद अंतर्गत कमार विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति आवासीय विद्यालय, नगरी, जिला-धमतरी का संचालन



केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (PVTG Scheme) मद अंतर्गत पहाड़ी कोरवा विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति आवासीय विद्यालय, जशपुर का संचालन

पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरण :-

राज्य शासन द्वारा घोषित 02 विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति पण्डो एवं भुंजिया के समग्र विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सूरजपुर में पण्डो विकास अभिकरण तथा गरियाबांद में भुंजिया विकास अभिकरण का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में इनके लिये राज्य आयोजना मद से राशि रु.110.00 लाख का आवंटन जारी किया गया है।

शोङ्कलाल



महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी

1.	राज्य का क्षेत्रफल	135192 वर्ग कि.मी.
1.1	राज्य का अनुसूचित क्षेत्र	81,861.88 वर्ग कि.मी.
1.2	राज्य का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र	91253 वर्ग कि.मी.
1.3	राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का प्रतिशत	67.50 प्रतिशत
2.	जनगणना (2011)	
2.1	कुल जनसंख्या	255.45 लाख
2.2	अनुसूचित जनजाति	78.22 लाख 30.62%
2.3	अनुसूचित जाति	32.47 लाख 12.81%
3.	(अ) साक्षरता का प्रतिशत (वर्ष 2011)	
3.1	औसत	70.28%
3.2	पुरुष	80.27%
3.3	महिला	60.24%
(ब) अनुसूचित जनजाति की साक्षरता (वर्ष 2011)		
3.1	औसत	59.09
3.2	पुरुष	69.67
3.3	महिला	48.76
(स) अनुसूचित जाति की साक्षरता (वर्ष 2011)		
3.1	औसत	70.76
3.2	पुरुष	81.66
3.3	महिला	59.86
4.	राजस्व जिला	28
4.1	पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले	14
4.2	आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले	06
4.3	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित जिले	25



5.	आदिवासी विकासखंड	85
6.	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना	19
7.	माडा पाकेट	09
8.	लघु अंचल	02
9.	विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह विकास अभिकरण (पण्डो एवं भुजिया विकास अभिकरणों सहित)	08
10.	विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह विकास प्रकोष्ठ	10

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्र

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग—दो, अनुभाग—तीन, उप अनुभाग (1) दिनांक 20 फरवरी वर्ष 2003 छत्तीसगढ़ राज्य में रिथत निम्नलिखित अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किए गए हैं।

छत्तीसगढ़

1. सरगुजा जिला (वर्तमान में सरगुजा, बलरामपुर व सूरजपुर जिला)
2. कोरिया जिला (वर्तमान में जिला कोरिया, मनेन्द्रगढ़—चिरमिरी—भरतपुर जिला)
3. बस्तर जिला (वर्तमान में बस्तर, नारायणपुर व कोण्डागांव जिला)
4. दंतेवाड़ा जिला (वर्तमान में दंतेवाड़ा, बीजापुर व सुकमा जिला)
5. कांकेर जिला
6. कोरबा जिला
7. जशपुर जिला
8. बिलासपुर जिले के (वर्तमान में गौरेला—पेण्ड्हा—मरवाही जिला) मरवाही, गौरेला—1 एवं गौरेला—2 आदिवासी विकासखण्ड एवं बिलासपुर जिले का सामुदायिक विकासखण्ड कोटा का कोटा राजस्व निरीक्षक खंड।
9. दुर्ग जिले (वर्तमान में बालोद जिला) में डौण्डी आदिवासी विकासखण्ड।
10. राजनांदगांव (वर्तमान में जिला अम्बागढ़ चौकी—मानपुर—मोहला)
11. रायपुर जिले (वर्तमान में गरियाबंद जिला) में गरियाबंद, मैनपुर और छुरा आदिवासी विकास खंड।
12. धमतरी जिले में नगरी (सिहावा) आदिवासी विकासखण्ड।
13. रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा और खरसिया आदिवासी विकासखण्ड।



प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार हैं :-

क्र.	जिला	परियोजना	माडा	लघु अंचल
1	बरतर	1. जगदलपुर		
2	कोण्डागांव	2. कोण्डागांव		
3	नारायणपुर	3. नारायणपुर		
4	कांकेर	4. भानुप्रतापपुर		
5	दन्तेवाड़ा	5. दन्तेवाड़ा		
6	सुकमा	6. कोन्टा		
7	बीजापुर	7. बीजापुर		
8	गरियाबन्द	8. गरियाबन्द		
9	बलौदाबाजार		1. बलौदाबाजार	1. धुर्गीबांधा
10	धमतरी	9. नगरी	2. गंगरेल	
11	महासमुंद		3. महासमुंद-1 4. महासमुंद-2	
12	बालोद	10. डोण्डीलोहारा		
13	राजनांदगांव	11. राजनांदगांव	5. नचनियां	2. बछेराभाटा
14	कबीरधाम		6. कबीरधाम	
15	सरगुजा	12. अंबिकापुर		
16	सूरजपुर	13. सूरजपुर		
17	बलरामपुर	14. पाल		
18	कोरिया	15. बैकुण्ठपुर		
19	कोरबा	16. कोरबा		
20	बिलासपुर			
21	गोरेला—पेण्डा—मरवाही			
22	मुंगेली	17. गौरेला		
23	जांजगीर—चांपा		7. रुगजा	
24	रायगढ़	18. धरमजयगढ़	8. गोपालपुर	
25	जशपुर	19. जशपुरनगर	9. सारंगढ़	



भाग - दो







विभागीय बजट

विभागीय बजट (2020-21) मार्च 2021 की स्थिति में

(राशि लाख में)

क्रमांक	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	आदिवासी उपयोजना	161205.66	96676.05	59.97
2	अनुसूचित जाति उपयोजना	53934.19	34302.89	63.60
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	18415.80	9984.96	54.22
4	अन्यान्य बजट अनुसूचित जनजाति	14590.23	9680.12	66.35
5	अन्यान्य बजट अनुसूचित जाति	218.70	12.27	5.61
योग :-		248364.58	150656.29	60.66

विभागीय बजट (2021-22) मार्च 2022 की स्थिति में

(राशि लाख में)

क्रमांक	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	आदिवासी उपयोजना	159521.97	102784.34	64.43
2	अनुसूचित जाति उपयोजना	53533.86	36935.64	68.99
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	18536.60	13698.09	73.90
4	अन्यान्य बजट अनुसूचित जनजाति	14124.72	10741.42	76.05
5	अन्यान्य बजट अनुसूचित जाति	222.30	108.82	48.95
योग :-		245939.45	164268.31	66.79

विभागीय बजट (2022-23) 30 नवम्बर 2022 की स्थिति में

(राशि लाख में)

क्रमांक	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	आदिवासी उपयोजना	185058.93	61897.25	33.45
2	अनुसूचित जाति उपयोजना	41622.36	15245.37	36.63
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	18271.20	864.38	4.73
4	अन्यान्य बजट अनुसूचित जनजाति	14064.16	7433.14	52.85
5	अन्यान्य बजट अनुसूचित जाति	254.10	73.43	28.90
योग :-		259270.75	85513.57	32.98



विभाग द्वारा संचालित विकास योजनाएँ

(गणित लाइब्रेरी में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2020-21			वर्ष 2021-22			वर्ष 2022-23				
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई
1	आश्रम शाल योजना	8400.00	4193.53	छात्र/ छात्रा०	—	8400.00	5562.09	छात्र/ छात्रा०	60741	8400.00	4409.24	छात्र/ छात्रा०
2	छात्रवास योजना	7000.00	3617.85	छात्र/ छात्रा०	—	7000.00	4053.15	छात्र/ छात्रा०	45035	7000.00	3662.62	छात्र/ छात्रा०
3	अशारकीय संस्थाओं को अनुदान	1700.00	1040.62	नियमित 09 संस्था	1700.00	1135.29	नियमित 09 संस्था	नियमित 09 संस्था	1800.00	1235.94	नियमित 09 संस्था	नियमित 09 संस्था
4	पृ. जनवाहर लाल मंडप उत्पाद योजना	1000.00	280.00	535	विद्यार्थी	1000.00	535.37	छात्र/ छात्रा०	587	1000.00	217.95	छात्र/ छात्रा०
5	छात्रवास /आश्रम एवं शाला भवनों का निर्माण	14425.00	12990.59	128	12	14445.00	11229.47	53 भवन	53	12001.00	5975.98	356
6	शहीद पीर नारायण रिट प्रूफरेस एवं स्व. डॉ. बंब बंबर शिल्प पोर्ट आदिवासी सेवा समान	9.00	4.35	व्यक्ति/ संस्था	2	9.00	4.00	व्यक्ति/ संस्था	2	5.00	4.70	व्यक्ति/ संस्था
7	छात्र भोजन सहाय योजना	1291.00	481.16	व्यक्ति/ संस्था	—	1300.00	1033.34	छात्र/ छात्रा०	14749	1300.00	650.80	छात्र/ छात्रा०
8	विशेष शिक्षण केंद्र दयुकूण योजना	130.00	0.00	व्यक्ति/ संस्था	—	143.00	143.00	छात्र/ छात्रा०	17698	143.00	0.00	छात्र/ छात्रा०
9	खाले युवक अधिनियम के अंतर्गत छात्रगारियों को व्यावान	2400.00	960.00	व्यक्ति/ संस्था	—	2880.00	2880.00	छात्र/ छात्रा०	120525	2400.00	960.00	छात्र/ छात्रा०
10	युवा कौरियर निभान योजना	466.00	99.10	छात्र/ छात्रा०	48	466.00	23.24	छात्र/ छात्रा०	प्रक्रिया घीत	466.00	387.12	विद्यार्थी
11	मुख्यमंत्री शाल भवित्व सुखा योजना	3428.80	1916.31	छात्र/ छात्रा०	2859	3420.30	1250.00	छात्र/ छात्रा०	1999	2763.00	1599.47	विद्यार्थी
12	आपान्टट चारियर /विज्ञान विकास केन्द्र	222.00	88.80	590	छात्र/ छात्रा०	222.00	61.03	छात्र/ छात्रा०	593	222.00	49.00	विद्यार्थी

(अ) राज्य योजनाएं (अनुसूचित जनजाति)

(अ) राज्य योजनाएं (अनुसूचित जाति)

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई		
1.	आश्रम शाला योजना	398.00	172.87	छात्र/ छात्राएं	—	395.00	286.29	छात्र/ छात्राएं	
2.	अशासकीय संस्थानों को अनुदान	163.00	108.00	नियमित 01 संस्था01 संस्था	163.00	114.99	नियमित 01 संस्था01 संस्था	120.00	नियमित 01 संस्था
3.	विशेष विकास केन्द्र दृष्टिशंख योजना	55.00	0.00	छात्र/ छात्राएं	—	55.00	55.00	छात्र/ छात्राएं	
4.	छात्रावास योजना	1742.00	827.64	छात्र/ छात्राएं	—	1742.00	909.81	छात्र/ छात्राएं	
5.	छात्र भोजन सहाय योजना	388.00	139.47	छात्र/ छात्राएं	—	388.00	290.95	छात्र/ छात्राएं	
6.	जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना	420.00	117.00	छात्र/ छात्राएं	273	420.00	297.65	छात्र/ छात्राएं	
7.	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न	450.00	180.00	छात्र/ छात्राएं	—	450.00	450.00	छात्र/ छात्राएं	
8.	युवा कैरियर निर्माण योजना	52.60	21.04	छात्र/ छात्राएं	—	52.50	—	प्रक्रिया घीन	

अन्य पिछड़ा वर्ग

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23		
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	
1.	युवा कैरियर निर्माण योजना	66.80	—	छात्र/ छात्राएं	—	66.80	—	छात्र/ छात्राएं

(व) केन्द्र प्रवर्तित योजना

24

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2020-21				वर्ष 2021-22				वर्ष 2022-23					
		बजट प्राप्तमान	केन्द्र से प्राप्त राशि	वर्ष अवधि	प्रतिक्र इकाई	बजट प्राप्तमान	वर्ष अवधि	केन्द्र से प्राप्त राशि	वर्ष अवधि	बजट प्राप्तमान	वर्ष अवधि	केन्द्र से प्राप्त राशि	वर्ष अवधि		
1	मानसिक अधिकार एवं संस्करण			2.36	—			3.54	—			—	—	1.00	
2	प्रकाशत अन्तर्गत प्रवाह-प्रसार			13.37	शिविर	11		17.80	शिविर	17		—	—	5.00	
3	अपृथक निवारण अधियोजन अ.जा./अ.जा. जा. अंतर्याम अनुदान	4534.40	2159.19	1459.84	हितग्राही	1407	1335.00	370.70	1370.04	हितग्राही	754	1961.81	—	400.00	
4	अधिनियम पुनर्वास एवं अनुरक्षण अनुदान			1958.00	दपति	780			2302.50	दपति	921	—	—	3900.00	
5	अन्तर्गत बहुउद्देशीय विकास	1389.00	228.57	380.95	—	—	1389.00	100.80	100.80	—	—	—	—	156	
6	फ्रान्समंडी कादर्दा ग्राम योजना	11803.39	6008.00	11495.18	ग्राम के सैप फिलिंग हेतु		4100.00	2198.80	3890.00	ग्राम के सैप फिलिंग हेतु	290	ग्राम के सैप फिलिंग हेतु	4100.00	—	838.00
7	अनुसूचित जनगति पो.मे. छात्रवृत्ति	7200.00	4346.27	5795.03	छात्र/ छात्रा	146616	7680.00	4453.47	5937.96	छात्र/ छात्रा	173113	15708.00	6784.81	—	छात्र/ छात्रा
8	अनुसूचित जाति पो.मे. छात्रवृत्ति	6500.00	1240.00	5419.71	छात्र/ छात्रा	102512	7614.00	2354.00	4664.00	छात्र/ छात्रा	114367	6000.00	40.00	—	छात्र/ छात्रा
9	अन्य पिछड़ा योगी भाजपूर्ति	13500.00	1400.00	8018.08	छात्र/ छात्रा	292969	13600.00	1400.00	11716.58	छात्र/ छात्रा	326684	14000.00	0.00000	—	छात्र/ छात्रा



आदिवासी उपयोजना - विभागीय बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
1	2020-21	1612.05	9667.6
2	2021-22	1595.22	1027.84
3	2022-23 (माह नवम्बर 2022 की स्थिति में)	1850.59	6189.73
योग :-		5057.86	16885.17

अनुसूचित जाति उपयोजना - विभागीय बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
1	2020-21	5393.41	3430.29
2	2021-22	5353.38	3693.56
3	2022-23 (माह नवम्बर 2022 की स्थिति में)	4162.23	1524.54
योग :-		14909.02	8648.39

(स) विशेष केन्द्रीय सहायता (आदिवासी उपयोजना)

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2020-21				वर्ष 2021-22				वर्ष 2022-23				
		बजट प्राप्तवाय	फेद से प्राप्त राशि	अंग	भौतिक उकाई	बजट प्राप्तवाय	फेद से प्राप्त राशि	अंग	भौतिक इकाई	बजट प्राप्तवाय	फेद से प्राप्त राशि	अंग	भौतिक इकाई	
1	विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	2300.00	8769.00	1659.76	30	0.00	26000.00	31148.35	0.00	76	0.00	28386.00	7469.25	0.00

विशेष केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2020-21				वर्ष 2021-22				वर्ष 2022-23			
		बजट प्राप्तवाय	फेद से प्राप्त राशि	अंग	भौतिक उकाई	बजट प्राप्तवाय	फेद से प्राप्त राशि	अंग	भौतिक इकाई	बजट प्राप्तवाय	फेद से प्राप्त राशि	अंग	भौतिक इकाई
1	एवरोजगार योजना	2000.00	—	—	हितयाही 47832	20000.00	1789.12	10000.00	हितयाही 55665.00	20000.00	—	—	177.95 हितयाही 1797.00
2	केंद्रीय विकास के लिए अनावह राशि	7877.00	—	—	—	7700.00	—	—	—	4700.00	—	—	2248.78 हितयाही 61.00

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2020-21				वर्ष 2021-22				वर्ष 2022-23			
		योगदान प्राप्तयाप	फैसले प्राप्त राशि	चयन	भौतिक उत्कर्ष	योगदान प्राप्तयाप	बहुत से प्राप्त राशि	बहुत से प्राप्तयाप	भौतिक उत्कर्ष	योगदान प्राप्तयाप	बहुत से प्राप्त राशि	बहुत से प्राप्तयाप	भौतिक उत्कर्ष
1	आदिवासी संस्कृति का संरक्षण एवं विकास	244.00	0.00	40.56	04 इकाई	244.00	0.00	92.50	04 इकाई	250.00	0.00	145.75 (भूत गवाय 2022 के अनुसार)	04 इकाई
2	आदिवासी विशेष पिछड़े समूह	2750.00	989.32	989.32	14 कार्ड संख्या	2750.00	996.90	269.64	10 कार्ड संख्या	2750.00	आपात	—	—
3	अन्यराज्यक श्रीम. भारतपुरी	11.00	—	—	विद्यार्थी	4308	11.00	—	—	4476	11.00	—	—
4	अन्यराज्यक योगी. भारतपुरी	10.00	—	—	विद्यार्थी	2189	10.00	—	—	2745	10.00	—	—
5	अन्यराज्यक श्रीरट कम शीर्षक भारतपुरी	8.00	—	—	विद्यार्थी	441	8.00	—	—	518	8.00	—	—



संविधान के अनुच्छेद 275 (1) एवं अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2020-21					वर्ष 2021-22					वर्ष 2022-23				
		बजट प्राप्तिका	सीन ये प्राप्त राशि	जमा	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्राप्तिका	सीन ये प्राप्त राशि	जमा	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्राप्तिका	सीन ये प्राप्त राशि	जमा	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार, 275 (1) 5480	17000.00	9976.24	9701.24	71	7	17000.00	11604.02	11104.02	1163	507	20200.00	0.00	—	—	—



विकासखण्ड स्तरीय 500 सीटर (250 सीटर अनु.ज.जाति बालक छात्रावास)
जिला-बस्तर (छत्तीसगढ़)



भाग - तीन



प्री.मे. आदिवासी कन्या छात्रावास जिला-महासमुन्द (छत्तीसगढ़)



विभाग के द्वारा संचालित शिक्षा संबंधी एवं अन्य प्रमुख योजनाएँ

योजना का नाम	पृष्ठ क्रं.	योजना का नाम	पृष्ठ क्रं.
➤ छात्रावास आश्रम योजना	31–33	आदिवासी संस्कृति का संरक्षण एवं विकास संबंधी योजनाएँ	
➤ ऑनलाईन शिष्यवृत्ति वितरण	34	➤ आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना	64
➤ छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना	34	➤ देवगुड़ी निर्माण / मरम्मत योजना	64
➤ स्वस्थ तन–स्वस्थ मन योजना	35	➤ अनु. जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, संशोधन अधिनियम–2015 यथा संशोधित अधिनियम–2018 अंतर्गत राहत योजना	65–79
➤ छात्र भोजन सहाय योजना (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना	35–36	➤ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना	79
➤ खाद्यान्न सुरक्षा योजना	36	➤ मैनुअल स्केवेंजर्स के सर्वेक्षण	79–80
➤ गुरुकुल, आदर्श विद्यालय एवं कन्या शिक्षा परिसर अंतर्गत संचालित विशेष छात्रावास	36–38	➤ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	80
➤ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना	39–50	➤ सम्मान एवं पुरस्कार तथा लोककला महोत्सव	81–82
➤ विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) हेतु आवासीय विद्यालय	51	फ्लैगशिप योजनाएँ	
➤ पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना	52	➤ राजीव युवा उत्थान योजना एवं ट्रॉयबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली	107–109
➤ क्रीड़ा परिसर योजना	53–54	➤ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति प्री.मेडिकल तथा प्री. इंजीनियरिंग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (कोचिंग) योजना	110
➤ ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	55–57	➤ मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना	111–113
➤ अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति	58–62	➤ आर्यभट्ट विज्ञान–वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना	114–115
रोजगार मूलक योजनाएँ		अन्य योजनाएँ	
➤ बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा योजना	63	➤ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	116
➤ निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना	63	➤ आदर्श छात्रावास भवन के रूप में उन्न्यन	116
➤ रविदास चर्मशिल्प योजना	63		
➤ हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना	63		



शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम तरखतपुर (खपरी)



શાસકીય



छात्रावास आश्रम योजना

I. विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों की सांख्यिकीय जानकारी

शैक्षणिक सत्र 2022-23 की स्थिति में

छात्रावास/आश्रम-समस्त वर्ग

अनु. क्र.	वर्ग	छात्रावास/आश्रमों की संख्या				स्वीकृत सीट्स
		प्री. मैट्रिक	पो. मैट्रिक	आश्रम	योग	
1	अनुसूचित जनजाति	1294	305	1175	2774	165356
2	अनुसूचित जाति	342	90	51	483	25709
3	अन्य पिछड़े वर्ग	8	29	0	37	1950
योग		1644	424	1226	3294	193063

अनुसूचित जनजाति छात्रावास शैक्षणिक सत्र 2022-23

अनु. क्र.	छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	प्री. मैट्रिक	888	406	1294	43109	23484	66593
2	पोस्ट मैट्रिक	150	155	305	9165	9430	18595
योग		1038	561	1599	52274	32914	85188

अनुसूचित जाति छात्रावास शैक्षणिक सत्र 2022-23

अनु. क्र.	छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	प्री. मैट्रिक	198	144	342	9126	7466	16592
2	पोस्ट मैट्रिक	48	42	90	2650	2410	5060
योग		246	186	432	11776	9876	21652

नोट :-

- प्री मैट्रिक छात्रावास एवं आश्रमों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को रु. 900/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रु. 1000/- प्रतिमाह की दर से वर्ष 2019-20 से शिष्यवृत्ति भुगतान किया जा रहा है।



अनुसूचित जनजाति आश्रम
शैक्षणिक सत्र 2022-23

अनु. क्र.	आश्रम का नाम	कुल संचालित आश्रमों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	माध्यमिक आश्रम	68	81	149	4750	7772	12522
2	प्राथमिक आश्रम	646	380	1026	42596	25050	67646
	योग	714	461	1175	47346	32822	80168

अनुसूचित जाति आश्रम
शैक्षणिक सत्र 2022-23

अनु. क्र.	आश्रम का नाम	कुल संचालित आश्रमों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	माध्यमिक आश्रम	1	2	3	50	800	850
2	प्राथमिक आश्रम	25	23	48	1455	1450	2905
	योग	26	25	51	1505	2250	3755

अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास
शैक्षणिक सत्र 2022-23

अनु. क्र.	छात्रावास का नाम	कुल संचालित आश्रमों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	पोस्ट मैट्रिक	14	15	29	700	850	1550
2	प्री. मैट्रिक	03	05	08	150	250	400
	योग	17	20	37	850	1100	1950





2. ऑनलाईन शिष्यवृत्ति वितरण :-

प्री. मैट्रिक छात्रावासों एवं आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को मेस संचालन हेतु शिष्यवृत्ति की राशि वर्ष 2015–16 से ऑनलाईन के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। विभाग द्वारा संचालित प्री. मैट्रिक छात्रावासों एवं आश्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रतिमाह शिष्यवृत्ति राशि रूपये 1000/- प्रदान की जाती है। वर्तमान में शिष्यवृत्ति का वितरण ऑनलाईन द्वारा राज्य स्तर से जिले के अधीक्षकों एवं छात्रावास नायक के संयुक्त खाते में हस्तांतरित किया जाता है। विद्यार्थियों के मासिक उपस्थिति तथा मेस डाइट चार्ट के आधार पर विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति भुगतान किया जाता है। इस प्रक्रिया से समय की बचत तथा पारदर्शिता आई है। शिष्यवृत्ति मद में वर्ष 2022–23 हेतु प्रावधानित राशि रूपये 19628.10 है।

क्र.	योजना का नाम	प्राप्त आबंटन
1	2	3
1	अनुसूचित जनजाति शिष्यवृत्ति योजना (छात्रावास)	7700.00
2	अनुसूचित जाति शिष्यवृत्ति योजना (छात्रावास)	1742.00
3	अनुसूचित जनजाति शिष्यवृत्ति योजना (आश्रम)	8400
4	अनुसूचित जाति शिष्यवृत्ति योजना (आश्रम)	395.00
5	अन्य पिछड़ा वर्ग शिष्यवृत्ति योजना (छात्रावास)	80.60
6	अशासकीय संस्था को शिष्यवृत्ति योजना (छा/आ) अ.ज.जा.	1202.00
7	अशासकीय संस्था को शिष्यवृत्ति योजना (छा/आ) अ.जा.	92.00
8	विशेष पिछड़ी जनजाति आश्रम शिष्यवृत्ति	16.50
योग		19628.10

3. छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (द्यूशन) योजना :-

दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में कठिन विषयों के शिक्षकों का अभाव बना रहता है, जिसके कारण छात्रावास आश्रमों में निवासरत विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर रह जाते हैं, फलस्वरूप परीक्षा परिणाम अपेक्षित स्तर का नहीं रहता है। इस योजना द्वारा अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति के छात्रावासों / आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एवं उपचारात्मक विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों जैसे—गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, वाणिज्य से संबंधित कमजोरी को दूर करने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे इस वर्ग के छात्र / छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बन सके। विशेष शिक्षण प्रदान करने हेतु 146 विकासखण्डों पर विशेष शिक्षण केन्द्र योजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 2022–23 में इस हेतु 198.00 लाख प्रावधानित है।



4. स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना :-

इस योजना अंतर्गत विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत छात्र-छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू है इसके अंतर्गत अनुबंधित निजी चिकित्सकों द्वारा माह में दो बार विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए वर्ष 2022–23 में इस योजना का प्रावधान राशि रूपये 280.50 लाख है।



5. छात्र भोजन सहाय योजना :-

- भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत छात्रों को छात्रावासी दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिससे छात्रावासी विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियां उनके मात्र भोजन की पूर्ति कर पाती हैं। छात्रावासी विद्यार्थियों की बढ़ती उम्र के अनुरूप संतुलित शारीरिक मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष पोषण आहार के लिए अतिरिक्त राशि प्रदाय करने के लिए छात्र भोजन सहाय योजना वर्ष 2005–06 से प्रारंभ की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह योजना वर्ष 2015–16 से प्रारंभ की गई है।
- वर्ष 2019–20 में राशि रूपये 500/- में वृद्धि करते हुये राशि रूपये 700/- प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी किया गया है।



> योजना के तहत वर्ष 2022–23 के लिए बजट प्रावधान एवं लक्ष्य की जानकारी निम्नानुसार है :—

वर्ग	प्रावधान	भौतिक लक्ष्य
अनुसूचित जाति	388.00	5410
अनुसूचित जनजाति	1300.00	18595
अन्य पिछड़ा वर्ग	74.00	1550
योग -	1762.00	25555

6. खाद्यान्न सुरक्षा योजना :-

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्यान्न सुरक्षा योजना वर्ष 2013 से प्रारंभ की गई है। उक्त योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास-आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों के साथ—साथ विशिष्ट संस्था/अशासकीय संस्थाओं में निवासरत विद्यार्थियों को भी रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। योजना अन्तर्गत वर्तमान में राशि रूपये 6.25/- की दर से प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 15 किलो के मान से छात्रावास अधीक्षक द्वारा चावल का उठाव किया जाता है। रस्टेट पूल के चावल का उठाव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा निर्धारित दर लगभग राशि रूपये 28/- से 30/- का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है। खाद्यान्न सुरक्षा योजना अंतर्गत वर्ष 2022–23 के लिए प्रावधान निम्नानुसार है :—

क्र.	वर्ग	प्रावधान
1	अनुसूचित जाति	450.00
2	अनुसूचित जनजाति	2400.00
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	22.50
	योग -	2872.50

7. शैक्षणिक अध्ययन भ्रमण :-

बस्तर संभाग अंतर्गत विभागीय छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ ही छत्तीसगढ़ की भौगोलिक एवं प्राकृतिक संरचनाओं के अध्ययन तथा सांस्कृतिक धरोहरों के संबंध में ज्ञानार्जनात्मक अभिरुचियों के विकास हेतु बस्तर संभाग अंतर्गत प्रत्येक जिले से विभागीय छात्रावास/आश्रमों में निवासरत कक्षा 9वीं से 12वीं के अधिकतम 50 छात्र-छात्राओं का चयन किया जा कर शैक्षणिक अध्ययन भ्रमण कराया जाता है। वर्ष 2022–23 में उक्त योजना हेतु 30.00 लाख प्रावधानित है। वर्ष 2022–23 में शासन द्वारा उक्त योजना अंतर्गत बस्तर संभाग के साथ सरगुजा संभाग को भी सम्मिलित किया गया है।

8. गुरुकुल, आदर्श विद्यालय एवं कन्या शिक्षा परिसर अंतर्गत संचालित विशेष छात्रावास

अविभाजित म.प्र. में अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास करते हुए उन्हें इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि जैसे अन्य प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में प्रवेश हेतु सक्षम बनाकर उच्च सेवाओं में नियोजन के लिए तैयार कर एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने योग्य बनाना है। इन उद्देश्य से निर्मित



इस योजनांतर्गत गुरुकुल विद्यालय, आदर्श आवासीय विद्यालय तथा कन्या शिक्षा परिसर योजना प्रारंभ की गई थी। योजनांतर्गत विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर उत्थान एवं विशेषज्ञ शिक्षकों से अध्यापन कराया जाना है, साथ ही शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तिगत विकास हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया जाना। विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, मेस, पुस्तकालय, संतुलित आहार आदि की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इन विद्यालयों में कक्ष 12वीं तक अध्यापन कराया जाता है, साथ ही विशेष कोचिंग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करायी जाती है।

वर्ष 2014–15 तक गुरुकुल उ.मा. विद्यालय, आदर्श उ.मा. विद्यालय एवं कन्या शिक्षा परिसर का संचालन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा था। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्र0/एफ 1/2/2015/1/एक दिनांक 10.03.2015 द्वारा समस्त अमले सहित विभागीय शैक्षणिक संस्थाओं का स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया गया है।

उक्त सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश उपरांत उक्त विशिष्ट संस्थाओं में से विद्यालय का संचालन शिक्षा विभाग द्वारा तथा आवासीय भाग (छात्रावास) का संचालन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

गुरुकुल विद्यालय हेतु छात्रावास :- वर्तमान में विभाग द्वारा सामान्य छात्रावास गुरुकुल आदर्श विद्यालय पेण्ड्रारोड बिलासपुर संचालित है जिसमें 245 सीट स्वीकृत है।

आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु छात्रावास :- विभाग द्वारा प्रदेश में कुल 06 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित है, जिसमें कक्ष 6 वीं से 12 तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालकों को प्रवेश दिया गया है, उक्त विद्यालयों में कुल 1795 सीटर स्वीकृत है जिसमें शिक्षण सत्र 2021–22 में कुल 1427 बालक अध्ययनरत है। आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों हेतु स्वीकृत छात्रावास का विवरण निम्नानुसार है :–

गुरुकुल विद्यालय हेतु छात्रावास :- वर्तमान में विभाग द्वारा सामान्य छात्रावास गुरुकुल आदर्श विद्यालय पेण्ड्रारोड बिलासपुर संचालित है जिसमें 245 सीट स्वीकृत है।

आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु छात्रावास :- विभाग द्वारा प्रदेश में कुल 06 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित है, जिसमें कक्ष 6 वीं से 12 तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालकों को प्रवेश दिया गया है, उक्त विद्यालयों में कुल 1795 सीटर स्वीकृत हैं। आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों हेतु स्वीकृत छात्रावास का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जिले का नाम	आदर्श उच्चतर माध्यमिक का नाम	स्वीकृत वर्ष	कुल स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
1	जशपुर	आदर्श, उ.मा. विद्यालय, जशपुर	2010–11	315	315
2	कौड़ागांव	आदर्श, उ.मा. विद्यालय, फरसगांव	2010–11	245	245
3	बालोद	आदर्श, उ.मा. विद्यालय, डॉडी	2010–11	245	206
4	दंतेवाड़ा	आदर्श, उ.मा. विद्यालय, दंतेवाड़ा	2010–11	245	186
5	कोरिया	आदर्श, उ.मा. विद्यालय, बैकुण्ठपुर	2010–11	245	168
6	नारायणपुर	आदर्श, उ.मा. विद्यालय, नारायणपुर	2013–14	500	307
योग				1795	1427



कन्या शिक्षा परिसर हेतु छात्रावास :- विभाग द्वारा प्रदेश में कुल 14 कन्या शिक्षा परिसरों हेतु छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कक्ष 12 तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। उक्त विद्यालयों में कुल 4450 सीट्स स्वीकृत हैं। कन्या शिक्षा परिसरों हेतु छात्रावास का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र.	जिले का नाम	कन्या शिक्षा परिसर का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
1	सरगुजा	कन्या शिक्षा परिसर, अंबिकापुर	2010–11	245	233
2	बलरामपुर	कन्या शिक्षा परिसर, राजपुर	2010–11	245	211
3	राजनांदगांव	कन्या शिक्षा परिसर, चौकी	2010–11	245	245
4	धमतरी	कन्या शिक्षा परिसर, दुगली	2010–11	345	345
5	दंतेवाड़ा	कन्या शिक्षा परिसर, पातररास	2011–12	450	274
6		नवीन कन्या शिक्षा परिसर, जावंगा	2014–15	500	226
7	सुकमा	कन्या शिक्षा परिसर, सुकमा	2011–12	450	400
8	बस्तर	कन्या शिक्षा परिसर, परचनपाल	2010–11	245	245
9		कन्या शिक्षा परिसर, भनपुरी	2013–14	245	158
10	सूरजपुर	कन्या शिक्षा परिसर, सूरजपुर	2013–14	245	211
11	कबीरधाम	कन्या शिक्षा परिसर, भोरमदेव	2013–14	245	237
12	बीजापुर	कन्या शिक्षा परिसर, बीजापुर	2013–14	245	209
13	कोणडागांव	कन्या शिक्षा परिसर, बहीगांव	2013–14	245	235
14	नारायणपुर	कन्या शिक्षा परिसर, नारायणपुर	2014–15	500	431
योग				4450	3660



आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम, विकासखण्ड कुआकोंडा जिला-दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़)



एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS) नई दिल्ली से केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत प्राप्त राशि से संचालित हैं। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराकर सामान्य जाति के विद्यार्थियों के समकक्ष लाना, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो, इस हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। उक्त विद्यालय कक्षा 6वीं से 12वीं तक संचालित किया जाता है तथा वर्ष 2018–19 से विद्यालयों में सी.बी.एस.ई. के पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन कराया जा रहा है। वर्तमान में **10** कन्या तथा **06** बालक एवं **57** संयुक्त इस प्रकार कुल **73** एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक **60** सीटर प्रति कक्षा के मान से प्रत्येक विद्यालय में **420** बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है। शिक्षण सत्र 2022–23 में विद्यालयों में कुल **19380** सीट स्वीकृत हैं, जिसमें लगभग **19125** विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन



एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन
भेरिंग जिला-महासमुंद



एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन पर्वानीडीह
जिला-धमतरी

संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी

वर्ष	विद्यालयों की संख्या	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
2022–23	73	19380	19125
2021–22	71	15660	15581
2020–21	71	12240	11595
2019–20	42	8700	8021
2018–19	25	6780	6372



प्रदेश में संभागवार संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की जानकारी :-

क्र.	संभाग का नाम	विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थियों की स्वीकृत सीट		विद्यार्थियों की प्रवेशित सीट	
			बालक	कन्या	बालक	कन्या
1	रायपुर	05	810	810	795	796
2	दूर्ग	05	1020	600	1004	599
3	बिलासपुर	12	1770	1530	1737	1529
4	सरगुजा	22	2730	2670	2665	2667
5	बस्तर	29	3480	3960	3430	3903
योग		73	9810	9570	9631	9494

वर्ष 2022-23 में प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी :-

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण सत्र 2022-23 में प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	स्वीकृत सीट			प्रवेशित सीट		
				बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	बीजापुर	मैरमगढ़	EMRS मैरमगढ़	210	210	420	196	201	397
2		बीजापुर	EMRS बीजापुर	120	120	240	120	120	240
3		उसुर	EMRS डॉगीगुड़ा	90	90	180	90	90	180
4		भोपालपट्टनम	EMRS रुद्राराम	0	180	180	0	165	165
5	नारायणपुर	नारायणपुर	EMRS छेरीबेड़ा	210	210	420	206	210	416
6		ओरछा	EMRS छोटेडोंगर	120	120	240	120	120	240
7	कोणडागांव	कोणडागांव	EMRS मर्दापाल	210	210	420	208	210	418
8		फरसगांव	EMRS चिचाड़ी	90	90	180	90	90	180
9		केशकाल	EMRS बेडमा	90	90	180	90	90	180
10		बड़ेराजपुर	EMRS कोरगांव	90	90	180	90	90	180
11		माकड़ी	EMRS शामपुर	90	90	180	90	90	180
12		बस्तर	EMRS बेसोली	210	210	420	210	210	420
13	जगदलपुर	बास्तानार	EMRS कोडेनार	90	90	180	90	90	180
14		बकावण्ड	EMRS करपावण्ड	420	0	420	409	0	409
15		तोकापाल	EMRS मेटावाड़ा	120	120	240	120	120	240
16		दरभा	EMRS छिंदवाड़ा	90	90	180	90	90	180
17		लोहाण्डीगुड़ा	EMRS गधिया	0	180	180	0	178	178
18	दक्षिण बस्तर	कटेकल्याण	EMRS कटेकल्याण	0	420	420	0	408	408
19		दंतेवाड़ा	EMRS दंतेवाड़ा	120	120	240	119	106	225
20		कुआकोण्डा	EMRS कुआकोण्डा	0	180	180	0	180	180
21		गीदम	EMRS हरम	90	90	180	84	86	170



क्र.	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	स्वीकृत सीट			प्रवेशित सीट		
				बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
22	सुकमा	सुकमा	EMRS सुकमा	180	180	360	180	180	360
23		कोण्टा	EMRS एर्वोर	120	120	240	117	119	236
24		छिंदगढ़	EMRS बालाटिकरा	0	180	180	0	180	180
25	कांकेर	अंतागढ़	EMRS लामकान्हार	420	0	420	411	0	411
26		कांकेर	EMRS बारदेवरी	120	120	240	120	120	240
27		भानुप्रतापपुर	EMRS फरासकोट	90	90	180	90	90	180
28		दुगूकोंदल	EMRS हिलचुर	90	90	180	90	90	180
29		नरहरपुर	EMRS नरहरपुर	0	180	180	0	180	180
30	बलरामपुर	शंकरगढ़	EMRS डीपाडीह	90	90	180	90	90	180
31		राजपुर	EMRS नवापारा	90	90	180	90	90	180
32		रामचंद्रपुर	EMRS चन्दनपुर	90	90	180	90	90	180
33		कुसमी	EMRS रामनगर	120	120	240	120	120	240
34		वाङ्फनगर	EMRS बरतीकला	120	120	240	120	120	240
35		बलरामपुर	EMRS भेलवाडीह	180	180	360	179	180	359
36	कोरिया	भरतपुर	EMRS जमथान	90	90	180	90	90	180
37		सोनहत	EMRS घुघरा	120	120	240	120	119	239
38		खडगवा	EMRS पोडिडीह	210	210	420	210	208	418
39	सरगुजा	उदयपुर	EMRS रिखी	120	120	240	120	120	240
40		बतीली	EMRS शिवपुर	0	180	180	0	180	180
41		लुण्डा	EMRS लुण्डा	30	30	60	30	30	60
42		सीतापुर	EMRS पेतला	90	90	180	90	90	180
43		मैनपाट	EMRS कमलेश्वरपुर	420	0	420	379	0	379
44	सूरजपुर	प्रतापपुर	EMRS खोरमा	120	120	240	120	120	240
45		ओड़गी	EMRS ओड़गी	120	120	240	120	120	240
46		प्रेमनगर	EMRS परवातीपुर	0	180	180	0	180	180
47		भैयाथान	EMRS शिवप्रसादनगर	420	0	420	397	0	397
48	जशपुर	कांसाबेल	EMRS ढुँढरुडांड	90	90	180	90	90	180
49		पत्थलगांव	EMRS सुकरापारा	90	90	180	90	90	180
50		जशपुर	EMRS घोलेंग	120	120	240	120	120	240
51		बगीचा	EMRS सन्ना	0	420	420	0	420	420
52	धमतरी	नगरी	EMRS पथरीडीह	180	180	360	174	180	354
53	कबीरधाम	बोडला	EMRS तरेंगांव जंगल	420	0	420	411	0	411



क्र.	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	स्वीकृत सीट			प्रवेशित सीट		
				बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
54	बालोद	दल्लीराजहरा	EMRS डौणडी	180	180	360	178	180	358
55	गारैला—	गौरेला	EMRS नेवसा	90	90	180	89	89	178
56	पेण्डा—	पेण्डा	EMRS लाटा	120	120	240	120	120	240
57	मरवाही	मरवाही	EMRS डोंगरिया	210	410	420	210	210	420
58	कोरबा	कटघोरा	EMRS छुरीकला	210	410	420	208	210	418
59		पाली	EMRS लाफा	120	120	240	120	120	240
60		पोडीउपरोडा	EMRS रामपुर	90	90	180	90	90	180
61	राजनांदगांव	मोहला	EMRS मीडिंगपिडिंगधेनु	90	90	180	90	90	180
62		मानपुर	EMRS ख्वासफकड़ी	120	120	240	120	120	240
63		राजनांदगांव	EMRS पेण्डी	210	210	420	205	209	414
64	मुगेली	लोरमी	EMRS बंधवा	180	180	360	178	180	358
65	महासमुंद	महासमुंद	EMRS भोरिंग	180	180	360	178	177	355
66	जांजगीर	सकती	EMRS पलाड़ीखुर्द	180	180	360	180	180	360
67	गरियाबंद	छुरा	EMRS केसोडोर	180	180	360	179	180	359
68		मैनपुर	EMRS गिरहोला	90	90	180	90	89	179
69	बलौदाबाजार	कसडोल	EMRS बल्दाकछार	180	180	360	174	170	344
70	रायगढ़	खरसीयां	EMRS छोटेमुडपार	420	0	420	392	0	392
71		धरमजयगढ़	EMRS व्यासी	120	120	240	120	120	240
72		घरघोड़ा	EMRS छर्राटांगर	0	180	180	0	180	180
73		लैलूंगा	EMRS लैलूंगा	30	30	60	30	30	60
			योग :-	9810	9570	19380	9631	9494	19125

राशि का प्रावधान :-

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS), नई दिल्ली द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु प्रति विद्यार्थी राशि रूपये 1,09,000/- का प्रावधान किया गया है। जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	घटक/मद	अधिकतम वार्षिक व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23	विवरण	
			वर्ष	वर्ष
1	कर्मचारी वेतन	280.00 लाख (53.54%)	कर्मचारी के वेतनमान (शिक्षकीय / गैर शिक्षकीय)	



	विद्यार्थियों पर प्रत्यक्ष व्यय (प्रति विद्यार्थी 29270.84 के मान से)	140.50 लाख (26.86%)	1. मेस संचालन, 2. पुस्तक / कॉपियाँ, 3. दैनिक उपयोग की सामग्रियाँ, 4. चिकित्सा व्यय, 5. शला गणवेश, 6. स्कूल बैंग, 7. सी बी.एस.ई. शुल्क एवं 8. अन्य छात्र / छात्राओं से संबंधित।
	विद्यालय संचालन पर	54.00 लाख (10.33%)	1. विजली, 2. पानी, 3. स्टेशनरी, 4. फर्नीचर, 5. उपकरण मरम्मत, 6. डाक व्यय, 7. टेलीफोन / इंटरनेट, 8. भवनों का रख-रखाव एवं मरम्मत, 9. कम्प्यूटर लैब मैनटेनेंस, 10. प्रवेश परीक्षा, 11. अन्य अकास्मिक व्यय
	विद्यालय शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियाँ	8.50 लाख (1.63%)	1. एन.सी.सी., 2. स्काउट, 3. कला एवं संस्कृतिक कार्यशाला, 4. संसाधन कक्ष, 5. शैक्षणिक भ्रमण, 6. संग्रहालय, 7. मोटिवेशन क्लासेस, 8. शैक्षणिक गतिविधियाँ, 9. व्यवसायिक प्रशिक्षण।
5	राज्य सोसायटी पर प्रशासनिक व्यय	10.00 लाख (1.91%)	छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थन समिति राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रशासनिक व्यय रखा जावेगा।
6	पूजी मद अंतर्गत (कम्प्यूटर, स्मार्ट क्लासेस, बैडिंग आयटम एवं प्रमुख मरम्मत)	20.00 लाख (3.82%)	NESTS/केन्द्र स्तर पर राशि सुरक्षित रहेगी जो, राज्य सोसायटी द्वारा विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने पर केन्द्रीय सोसायटी द्वारा राशि उपलब्ध कराया जावेगा।
7	केन्द्रीय गतिविधियाँ	10.00 लाख (1.91%)	NESTS/केन्द्र स्तर पर राशि सुरक्षित रहेगी जो, केन्द्रीय सोसायटी द्वारा स्पोट भीट, कल्याचर प्रोग्राम एवं अन्य गतिविधियों हेतु राशि राज्य सोसायटी को उपलब्ध कराया जावेगा।
राशि रूपये 1.09 लाख प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष के मान से			

एकलब्ध आदर्श आवासीय विद्यालयों का बोर्ड परीक्षा परिणाम

वर्ष	कक्ष 10वीं		कक्ष 12वीं		
	कुल परीक्षार्थी	उत्तीर्ण प्रतिशत	प्रथम श्रेणी प्रतिशत	कुल परीक्षार्थी	उत्तीर्ण प्रतिशत
2021–22	1274	98.74%	67.81%	364	80.59%
2020–21	842	100%	100%	563	99.64%
2019–20	660	98.03%	86.21%	554	94.22%
2018–19	603	98.67%	89.05%	469	89.55%
2017–18	626	98.24%	80.83%	395	92.65%

विद्यालय भवनों का निर्माण :-

प्रदेश में 73 एकलब्ध आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित हैं। जिसमें से 25 विद्यालयों के भवन निर्माण पूर्ण हो गये हैं जो स्वयं के भवन में संचालित हो रहे हैं।


राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS) नई दिल्ली द्वारा 50 नवीन एकलब्ध आदर्श आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु एजेंसी का चयन किया गया है। जिसकी प्रगति निम्नानुसार है :—

क्र.	एजेंसी का नाम	आवंटित कार्य की संख्या	निर्माण कार्य प्रारंभ	प्रक्रियाधीन
1	NPCC	33	8	25
2	WAPCOS	17	4	13
	कुल	50	12	38



एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा के उपरांत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कराये गए कोचिंग

राज्य स्तरीय संचालक मंडल में लिए गए निर्णय अनुसार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के कक्षा 12वीं में अध्ययनरत JEE/NEET एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कोचिंग कराने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत विद्यार्थियों का राज्य स्तर पर स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया गया जिसके माध्यम से 101 बच्चों का कोचिंग हेतु चयन किया गया था। जिसमें 89 विद्यार्थी कोचिंग में शामिल हुए। एकलव्य विद्यालयों के 41 विद्यार्थियों को JEE एवं 48 विद्यार्थियों को NEET की कोचिंग प्रदान की गई है। JEE Mains में सफलता प्राप्त कर JEE Advance में 26 विद्यार्थियों ने अर्हता प्राप्त की जिसमें से 01—IIT में धनेश कुमार वेटटी, 01—IIT में फिल्मोन मिंज एवं 05 विद्यार्थी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में चयनित हुए।



श्री धनेश कुमार वेटटी का IIT में चयन
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय करपावण्ड जिला-जगदलपुर के छात्र ने वर्ष 2021-22 में JEE Advance परीक्षा में सफलता हासिल करते हुए IIT पटना में प्रवेश प्राप्त किया गया है।



श्री फिल्मोन मिंज का IIT में चयन

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैनपाट जिला-सरागुजा के छात्र ने वर्ष 2021-22 में JEE Advance परीक्षा में सफलता हासिल करते हुए IIT भागलपुर में प्रवेश प्राप्त किया गया है।



एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की समय—समय पर शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय एवं निर्माण आदि की समीक्षा बैठक राज्य स्तर की जाती है। प्राचार्य एवं छात्रावास अधीक्षकों का संभागवार समीक्षा बैठक निम्नानुसार तिथियों में की गई :—

संभाग	जिला	विद्यालयों की संख्या	दिनांक
वस्तर	जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बजीपुर, कोण्डागांव, नारायणपुर, सुकमा	29	30.06.2022
सरगुजा	सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर	22	01.07.2022
रायपुर	गरियाबंद, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुन्द	05	14.09.2022
बिलासपुर	रायगढ़, कोरबा, गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही, जॉजगीर, मुंगेली	12	14.09.2022
दुर्ग	राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद	05	14.09.2022



एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

1. जनजातीय गौरव दिवस

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में दिनांक 15.11.2022 से 22.11.2022 तक गौरव जनजातीय दिवस आयोजन किया गया :—

क्र.	गतिविधि	दिनांक
1	जनजातीय कलाकारों / नर्तकदलों का कार्यक्रम जिसमें विशेष पिछड़ी जनजातीय भी शामिल	15.11.2022
2	'जनजातीय संस्कृति संरक्षण एवं विकास' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला	16.11.2022
3	आवासीय विद्यालयों में निबंध, समूह गीत, समूह नृत्य, खेल एवं चित्रकला प्रतियोगिता (यह प्रतियोगिता जनजातीय विकास, सांस्कृतिक धरोहर तथा जनजातीय महानायकों पर आधारित)	17.11.2022 से 21.11.2022
4	आवासीय विद्यालयों में स्वच्छता अभियान तथा वृक्षारोपण उपरांत समापन कार्यक्रम	22.11.2022



2. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के द्वारा गणराजीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपलब्धि

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, NESTs, नई दिल्ली का पत्रक्र/NEST/EMRS/109/ 2021-22 दिनांक 12.09.2022 वर्ष 2022-23 में 31 अक्टूबर को आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर, बैंगलुरु में आयोजित हुआ।

क्रं	प्रतियोगिता का नाम	प्रतिभागी का नाम	प्राप्त स्थान	विद्यालय का नाम
1	स्टोरी टेलिंग (हिन्दी)	कु. सुशीला मंडावी	प्रथम	EMRS कर्टेकल्याण
2	वाद-विवाद (हिन्दी)	कु. ललिता पैंकरा	द्वितीय	EMRS पोड़ीडीह
3	ऑन स्पाट पेंटिंग	सूर्यप्रकाश	द्वितीय	EMRS शिवप्रसादनगर
4	समूह गान (द्वायबल)	—	द्वितीय	EMRS छेरीबेडा
5	गायन (समी क्लासिकल टीचर्स)	श्री अनंत प्रकाश राठौर	तृतीय	EMRS शिवप्रसादनगर



राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव वर्ष-2022-23 की प्रमुख इलेक्शन



3. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के द्वारा राष्ट्रीय खेल महोत्सव में उपलब्धि

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2022–23 का आयोजन इस वर्ष 2022–23 में दिनांक 18 से 22 दिसंबर तक आचार्य नागर्जुन विश्वविद्यालय, गुन्टुर, आंध्र प्रदेश में किया गया।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों से राष्ट्रीय खेल में कुल 155 बालक एवं 137 कन्या, इस प्रकार कुल 292 प्रतिभागियों ने भाग लिया। भाग लेने वाले प्रतिभागी मुख्यतः एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बेडमिंटन, बास्केट बॉल, शतरंज, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, खो-खो, तैराकी, बॉलीबॉल, कुश्ती एवं योगा के थे।



एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का तीसरा राष्ट्रीय खेल महोत्सव, दिनांक 17 दिसम्बर 2022 से 22 दिसम्बर 2022 तक आंध्रप्रदेश राज्य के गुन्टुर में सम्पन्न हुआ। इस महोत्सव में 22 राज्यों के लगभग 5000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें छत्तीसगढ़ के 73 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में विद्यालय, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित कराकर उत्कृष्ट विद्यार्थियों का चयन कर 153 बालक एवं 135 बालिका इस प्रकार कुल 288 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हेतु भेजा गया।



इस खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ राज्य का उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा। छत्तीसगढ़ राज्य को 26 स्वर्ण, 12 रजत एवं 22 कांस्य पदकों के साथ कुल 60 पदक प्राप्त कर पांचवा स्थान प्राप्त किया। विभिन्न खेल गतिविधियों में पदक प्राप्ति का विवरण निम्नानुसार है :-

S.No.	Event Name	Gold	Silver	Bronze	Total
1	2	3	4	5	6
1	Athletics	13	3	4	20
2	Swimming	8	6	3	17
3	Wrestling	3	2	5	10
4	Badminton	0	0	1	1
5	Chess	1	0	2	3
6	Yoga	0	0	2	2
7	Judo	0	1	0	1
8	Kabbaddi (B)	0	0	1	1
9	Handball (B)	0	0	1	1
10	Kho-Kho (G)	0	0	1	1
11	Kho-Kho (B)	1	0	0	1
12	Weightlifting	0	0	1	1
13	Archery	0	0	1	1
Total		26	12	22	60

एथलेटिक्स, तैराकी एवं कुश्ती में शानदार प्रदर्शन :-

छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाड़ियों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन एथलेटिक्स में किया, जिसमें 13 स्वर्ण, 03 रजत एवं 04 कांस्य सहित कुल 20 पदक प्राप्त किये। वहीं तैराकी में 08 स्वर्ण, 06 रजत एवं 02 कांस्य सहित कुल 16 पदक तथा कुश्ती में 03 स्वर्ण, 02 रजत एवं 05 कांस्य सहित कुल 10 पदक प्राप्त किये। इसके अलावा शतरंज में 01 स्वर्ण एवं 02 कांस्य सहित कुल 03 पदक, खो-खो (बालक) में 01 स्वर्ण, जूड़ो में 01 रजत, योगा में 02 कांस्य, बैडमिंटन, कबड्डी (बालक), हैण्डबॉल (बालक) एवं खो-खो (बालिका) में 01 कांस्य तथा भारोत्तोलन में 01 रजत प्राप्त करते हुए कुल 58 पदक प्राप्त किये।

EMRS अंतागढ़, कांकेर एवं तोकापाल, बस्तर के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन :-

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, अंतागढ़, कांकेर के छात्र अर्जुन कोवाची ने 800 मी., 1500 मी. एवं 4x400 मी. में स्वर्ण पदक तथा 400 मी. दौड़ में रजत पदक जीत कर प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया।



इसी प्रकार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, तोकापाल, बस्तर की सोनादायी कश्यप ने 400 मी., 200 मी. एवं 100 मी. में स्वर्ण पदक, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छर्टांगर, रायगढ़ की भूमिका राठिया एवं एकलव्य विद्यालय, पलाड़ीखुर्द, सकती की तानिया सिंह ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तैराकी अंडर-14 में सोहन उरांव में 03 स्वर्ण पदक प्राप्त किये। इसी प्रकार अन्य खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में जगह बनाई।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 73 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 19000 से अधिक विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त कर अध्ययनरत हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में बेहतर शिक्षा के साथ-साथ, बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसी का परिणाम है कि आज यहां के बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के साथ-साथ प्रदेश को भी गौरवान्वित किया है।

विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालय (PVTGRS)

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना, आदिवासी उपयोजना अंतर्गत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालय (PVTGRS) का संचालन किया जा रहा है।

शिक्षण सत्र 2022-23 में विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालय (PVTGRS) में अध्ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी

क्र.	जिला	विकासखण्ड	PVTG	स्थान	अध्ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी														
					प्राथमिक स्तर	माध्यमिक स्तर	योग	1ली	2री	3री	4थी	5वीं	6वीं	7वीं	8वीं	9वीं	10वीं		
1	नारायणपुर	ओरछा	अबुझमाड़िया	ओरछा	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	40		
2	मनेन्द्रगढ़— चिरमिरी— भरतपुर	भरतपुर	बैगा	नौदिया	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	40		
3	बलरामपुर— रामानुजगंज	बलरामपुर	पहाड़ी कोरवा	भेलवाडीह	20	20	20	0	0	20	20	20	20	20	20	20	160		
4	गरियाबंद	गरियाबंद	कमार	गरियाबंद	20	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	40		
5	घमतरी	नगरी	कमार	मुकुंदपुर	16	0	0	0	0	13	14	14	7	12	76				
6	सरगुजा	अम्बिकापुर	पहाड़ी कोरवा	घंघरी	20	0	0	0	0	19	32	27	0	0	0	98			
7	कबीरधाम	फंडरिया	बैगा	पोलमी	20	20	20	0	0	20	20	19	19	18	156				
8		बोडला	बैगा	चौरा	20	20	20	0	0	20	20	16	0	0	0	116			
9	जशपुर	बगीचा	पहाड़ी कोरवा	रुपसेरा	26	10	16	25	23	10	0	0	0	0	0	0	110		
10	जी.पी.एम.	गौरेला	बैगा	धनौली	10	29	0	0	0	29	12	0	0	0	0	0	80		
		योग :-			192	99	76	25	23	191	188	96	46	50	916				



विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालय (PVTGRS) का संचालन हेतु भारत सरकार से प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष राशि रूपये 85000/- स्वीकृति राशि को मदवार विभाजन किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	प्रतिशत में	कुल वार्षिक व्यय (प्रति विद्यार्थी प्रति शिक्षण सत्र)
1	विद्यार्थियों पर व्यय (पोषण आहार/शिष्टवृत्ति प्रति विद्यार्थी 1500 रु. प्रतिमाह तथा एक शिक्षण सत्र में 10 माह के लिये कुल 15000 रु. सहित)	30	25500
2	कर्मचारी वेतन भत्तों पर व्यय	40	34000
3	कार्यालय व्यवस्था एवं अन्य अकार्सिक व्यवस्थाओं पर व्यय	6	5100
4	अतिरिक्त कोचिंग पर व्यय (रेमेडियल)	5	4250
5	रनिंग पेयजल/वाटर हार्वेस्टिंग/किचन गाडन/खाना बनाने का संयंत्र/शैक्षणिक भ्रमण/सामग्री पूर्ति	12	10200
6	शेष राशि (साइंस ओलपियाड NTSE प्रतियोगी परीक्षा हेतु)	7	5950
योग		100	85000



शैक्षणिक भ्रमण के दौरान महामहिम राज्यपाल महोदया से खास मुलाकात



बत्तों ने पूछा आप राज्यपाल कैसे बने? उड़के ने कहा- आप भी बन सकते हैं



तापुर | राज्यपाल अनुसुन्धान उड़के से सोमवार को राज्यपालन में विशेष प्रिव्यू। जनजातीय वास्तुवाच से बच्चों से मुख्यमान वाले। राज्यपालन में विशेष पर उच्चतम निदापिण्डी वे जब पूछा कि आप राज्यपाल कैसे बने? तब राज्यपाल ने आपने जीवन के अन्यतरी एवं अनुभवों को बताए के बीच उत्तम किया। राज्यपालन में बच्चों से कहा था कि आपके अंदर सेवा भविता है, तो आप जी राज्यपाल बन सकते हैं। इस अवसर पर आपका जामी असंविदी ने जनजातीय विकास से संबंधित पुस्तकों राज्यपाल को भेंट की।



विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) हेतु आवासीय विद्यालय

छत्तीसगढ़ राज्य में भारत सरकार द्वारा घोषित 05 विशेष पिछड़ी जनजाति निवासरत हैं। ये जातियां बैगा, कमार, अबुझामाड़िया, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा हैं। इन जनजातियों में शिक्षा का प्रसार बहुत कम होने के कारण स्वास्थ्य, रोजगार एवं जागरूकता की कमी होने के कारण इनकी स्थिति अन्य जनजातियों की तुलना में काफी दयनीय है। इन जनजातियों को ऊपर उठाने हेतु शिक्षा एक सर्वाधिक कारगर माध्यम है।

अतः भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति समूह (PVTG) के विकास हेतु विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए संरक्षण सहविकास (CCD) की कार्ययोजना (के.क्षे.यो.) वर्ष 2012–17 अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई है, जिसके तहत छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के पत्र क्र./एफ-20-18/2013 /25-2/आजक दिनांक 03.10.2013 एवं 30.03.2017 द्वारा PVTG विद्यालय हेतु पदों की संरचना स्वीकृत की गई है। ये विद्यालय कक्षा पहली से 10वीं तक होंगे तथा इस विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी को रु 85,000/- वार्षिक के मान से समस्त व्यय स्वीकृत किया गया है।

प्रदेश में संचालित विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालयों की सूची

क्र.	जिला	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत सीट		विद्यालय संचालन/भवन निर्माण की स्थिति
					5	6	
1	2	3	4				
1	कबीरधाम	बलरामपुर	विशेष पिछड़ी जनजाति (कमार) आवासीय विद्यालय मुकुन्दनगर	2012–13	100		संचालित
2	बलरामपुर	नगरी	विशेष पिछड़ी जनजाति (पहाड़ी कोरवा) आवासीय विद्यालय भेलवाड़ीह	2014–15	100		संचालित
3	धमतरी	पंडरिया	विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा) आवासीय विद्यालय पोलमी	2012–13	100		संचालित
4	कबीरधाम	बोडला	विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा) आवासीय विद्यालय चौरा	2014–15	100		भवन निर्माणाधीन
5	गरियाबंद	गरियाबंद	विशेष पिछड़ी जनजाति (कमार) आवासीय विद्यालय केशोडोर	2012–13	100		भवन निर्माणाधीन
6	कोरिया	भरतपुर	विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा) आवासीय विद्यालय नौदिया	2012–13	100		भवन निर्माणाधीन
7	सरगुजा	अंबिकापुर	विशेष पिछड़ी जनजाति (पहाड़ी कोरवा) आवासीय विद्यालय घघरी	2012–13	100		भवन निर्माणाधीन
8	गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही	गौरेला	विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा) आवासीय विद्यालय धनौली	2014–15	100		भवन निर्माणाधीन
9	जशपुर	बगीचा	विशेष पिछड़ी जनजाति (पहाड़ी कोरवा) आवासीय विद्यालय रूपसेरा	2014–15	100		भवन निर्माणाधीन
10	नारायणपुर	ओरछा	विशेष पिछड़ी जनजाति (आबुझामाड़ीया) आवासीय विद्यालय ओरछा	2016–17	200		भवन निर्माणाधीन



पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना वर्ष 2022-23

शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट मापदंड स्थापित करने वाले निजी प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय एवं समकक्ष संस्थाओं के महंगी फीस के कारण प्रतिभावन आर्थिक रूप से कमज़ोर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र उक्त विद्यालय में पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए



कक्षा 6वीं में 130 अनुसूचित जनजाति एवं 70 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष राज्य के उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाता है। वर्ष 2022-23 में कुल 1032 विद्यार्थी वर्तमान में अध्ययनरत हैं। इस हेतु वर्ष 2022-23 में कुल बजट प्रावधान 1420.00 लाख का है।

पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजनांतर्गत विगत वर्षों की जानकारी :-

क्र.	वर्ष	बजट प्रावधान (राशि लाख में)	विद्यार्थियों की संख्या		
			नवीन प्रवेशित	नवीनीकरण	योग
	2013-14	1011.74	145	986	1131
	2014-15	1220.00	186	1059	1245
	2015-16	1245.00	82	1086	1168
	2016-17	1245.00	244	719	963
	2017-18	1400.00	175	824	999
	2018-19	1400.00	182	791	973
7	2019-20	1400.00	150	815	965
8	2020-21	1420.00	—	808	808
9	2021-22	1420.00	256 (वर्ष 2020-21 एवं 2021-22)	625	881
10	2022-23	1420.00	181	851	1032

उपलब्धियाँ

क्र.	वर्ष	छात्रों का परीक्षा परिणाम का प्रतिशत		
		10वीं प्रतिशत	12वीं प्रतिशत	
1	2016-17	90.48	70.94	
2	2017-18	85.71	82.83	
3	2018-19	98.40	93.84	
4	2019-20	99.00	94.96	
5	2020-21	100	96.64	
6	2021-22	100	100	



क्रीड़ा परिसर

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति के खेल प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा वर्तमान में 19 क्रीड़ा परिसर संचालित किये जा रहे हैं। जिनमें प्रति क्रीड़ा परिसर 100 सीट के मान से कुल 1900 सीट स्वीकृत हैं। ये क्रीड़ा परिसर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ संबद्ध हैं। इन संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं अपनी खेल प्रतिभा को विकसित करते हुए निरंतर अध्ययनरत हैं। क्रीड़ा परिसरों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	जिला का नाम	संस्था का नाम	खेल विधाएं				
			4	5	6	7	8
1	रायपुर	बालक क्रीड़ा परिसर (अ.पि.व.) गोगांव	खो-खो	वेटलिटिंग	तीरंदाजी	बैडमिंटन	एथलेटिक्स
2	गरियाबंद	बालक क्रीड़ा परिसर (अजजा) गरियाबंद	नेटबाल	हॉकी	व्हालीबॉल	बास्केटबॉल	एथलेटिक्स
3	बिलासपुर	बालक क्रीड़ा परिसर (अ.पि.व.) बिलासपुर	कबड्डी	तैराकी	फुटबॉल	बैडमिंटन	एथलेटिक्स
4	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	बालक क्रीड़ा परिसर गुरुकुल (अजजा) विद्यालय, पेण्ड्रारोड	फुटबॉल	हैण्डबॉल	जिमनास्टिक	तीरंदाजी	एथलेटिक्स
5	मुंगेली	बालक क्रीड़ा परिसर (अजा) मुंगेली	तीरंदाजी	व्हालीबॉल	बास्केटबॉल	बेसबाल	एथलेटिक्स
6	जांजगीर- चांपा	कन्या क्रीड़ा परिसर (अजा) चिरदा (हसौद)	खो-खो	हैण्डबॉल	व्हालीबॉल	सॉटबाल	एथलेटिक्स
7	रायगढ़	कन्या क्रीड़ा परिसर (अजजा) धरमजयगढ़	नेटबाल	हॉकी	हैण्डबॉल	वॉलीबॉल	एथलेटिक्स
8	बालोद	बालक क्रीड़ा परिसर (अजजा) डौण्डी	तीरंदाजी	फुटबॉल	कबड्डी	थ्रोबॉल	एथलेटिक्स
9	राजनांदगांव	कन्या क्रीड़ा परिसर (अजजा) अं. चौकी	खो-खो	तीरंदाजी	वॉलीबॉल	बास्केटबॉल	एथलेटिक्स
10	सरगुजा	कन्या क्रीड़ा परिसर (अजजा) अदिकापुर	वॉलीबॉल	हॉकी	हैण्डबॉल	तैराकी	एथलेटिक्स
11	बलरामपुर	बालक क्रीड़ा परिसर (अजजा) बलरामपुर	तीरंदाजी	कबड्डी	खो-खो	टेबल टेनिस	एथलेटिक्स
12	कोरिया	बालक क्रीड़ा परिसर (अजजा) मनेन्द्रगढ़ (लालपुर)	हॉकी	फुटबॉल	हैण्डबॉल	सॉटबाल	एथलेटिक्स
13	जशपुर	बालक क्रीड़ा परिसर (अजजा) जशपुर	हॉकी	फुटबॉल	खो-खो	टेबल टेनिस	एथलेटिक्स
14		कन्या क्रीड़ा परिसर (अजजा) जशपुर	सॉटबाल	खो-खो	हॉकी	फुटबॉल	एथलेटिक्स
15	जगदलपुर	बालक क्रीड़ा परिसर (अजजा) धरमपुरा	कबड्डी	तीरंदाजी	कुश्ती	वॉलीबॉल	एथलेटिक्स
16		कन्या क्रीड़ा परिसर (अजजा) धरमपुरा	तीरंदाजी	व्हालीबॉल	हैण्डबॉल	कुश्ती	एथलेटिक्स
17		कन्या क्रीड़ा परिसर (अजजा) भनपुरी	कबड्डी	वॉलीबॉल	हैण्डबॉल	नेटबाल	एथलेटिक्स
18	कांकेर	कन्या क्रीड़ा परिसर (अजजा) कांकेर	तीरंदाजी	कबड्डी	खो-खो	हैण्डबॉल	एथलेटिक्स
19	नारायणपुर	बालक क्रीड़ा परिसर (अजजा) नारायणपुर	वॉलीबॉल	फुटबॉल	मलखम्म	तीरंदाजी	एथलेटिक्स



क्रीड़ा परिसर में प्रवेशित विद्यार्थियों को सुविधाएँ :-

प्रत्येक क्रीड़ा परिसर में बालक / कन्या आवासीय सुविधा सहित खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक बालक / कन्या को प्रतिमाह रु 1000 शिष्यवृत्ति एवं रु. 500 पोषण आहार हेतु इस प्रकार कुल राशि रु. 1500 प्रतिमाह दिया जाता है।

विभागीय क्रीड़ा परिसर में प्रत्येक विद्यार्थी को वर्ष में एक बार राशि रु. 3000 मूल्य का संपूर्ण खेल पोषाक दिया जाता है। जिसमें 01 ट्रैक सूट, 01 स्पोर्ट्स / वार्मअप शूज, 02 जोड़ी मोजा एवं 02 जोड़ी संबंधित खेल की पोषाक सम्मिलित है।



चीथी अंतरराज्यीय कबड्डी टूर्नामेंट में क्रीड़ा परिसर के विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया



ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

ऑन-लाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

प्रदेश में अनुसूचित जाति / जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शासन द्वारा संचालित की जा रही है। छात्रवृत्ति का समय पर स्वीकृति एवं भुगतान सुनिश्चित करने एवं इसके मॉनीटरिंग करने में विभाग को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों एवं पालकों को समय पर एवं सही छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायतें आती रहती थीं।

उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु वर्ष 2012–13 से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पूरी प्रक्रिया का कम्प्यूटराइजेशन किया जाकर आनलाईन आवेदन एवं स्वीकृति की व्यवस्था के माध्यम से छात्रवृत्ति योजना को पारदर्शी बनाया गया है। इस हेतु विभागीय वेबसाइट (www.Postmatric-scholarship.cg.nic.in) तैयार किया गया है जिसमें विद्यार्थियों द्वारा आनलाईन आवेदन करके बायोडाटा की प्रविष्टि एक बार करने के पश्चात् उसे पूरे अध्ययनकाल में छात्रवृत्ति प्राप्त होती रहेगी और प्रतिवर्ष नये आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्ष 2015–16 से सभी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति उनके बैंक एकाउंट में ही स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार विद्यार्थियों की खाते में छात्रवृत्ति राशि का हस्तांतरण ऑन–लाईन के माध्यम से किया जा रहा है।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2015 के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्ष 2015–16 से कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्रवृत्ति का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना है। कक्षा 11वीं एवं 12वीं हेतु छात्रवृत्ति की राशि शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृति अनुसार शिक्षा विभाग को प्रदाय किया जाता है। कक्षा 12 वीं से उच्चतर कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति संचालन का कार्य पूर्व की भांति विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2021–22 में कुल 614164 विद्यार्थियों को लगभग राशि रूपये 25617.00 लाख की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है। वर्ष 2022–23 की छात्रवृत्ति स्वीकृत की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, नवम्बर 2022 तक लगभग 10000 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृति की गई है।

विगत तीन वर्षों के छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं भुगतान निम्नानुसार है :-

SC Post Matric scholarship			ST Post Matric scholarship			OBC Post Matric scholarship		
Year	Students	Amount (in lakhs)	Year	Students	Amount (in lakhs)	Year	Students	Amount (in lakhs)
2019-20	95433	5521.43	2019-20	143355	7308.22	2019-20	280343	10347.26
2020-21	102512	5230.67	2020-21	146616	6701.88	2020-21	292969	10653.19
2021-22	114367	5847.75	2021-22	173112	8050.22	2021-22	326684	11719.03



पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भना) (अ.ज.जा.)

- आय—सीमा— रु. 2.50 लाख तक वार्षिक आय,
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरें दिनांक 01.07.2010 से निम्नानुसार लागू हैं :—

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)	
	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह-1- (i) डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम यथा—एम.फिल., पीएच.डी तथा औषधि में पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान (अलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियाँ) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, कृषि, डिजाईन, फैशन टेक्नालॉजी, पशु—चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, विजनेस वित्त, विजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग / विज्ञान। (ii) वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी—इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम (iii) प्रबंधन तथा औषधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (iv) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./आई.सी.एफ.ए. आदि पाठ्यक्रम (v) एम.फिल., पीएच.डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान यथा—डी.लिट, डी.एस.सी. इत्यादि (vi) एल.एल.एम.	1200	550
समूह-2 - (i) स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे—फार्मसी (बी.फार्मा), नर्सिंग (बी.नर्सिंग), एल.एल.बी., बी.एफ.एस. अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच जैसे—रिहायबिलिटेशन, डायगनोस्टिक इत्यादि, होटल प्रबंधन, मॉस कम्यूनिकेशन, ट्रेवेल / टूरिज्म / हॉस्पिटायलिटी प्रबंधन, आंतरिक साज—सज्जा, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स, कामर्सियल आर्ट, वित्तीय सेवाएं जैसे—बैंकिंग, इन्शायरेन्स इत्यादि जिसके लिए प्रवेश परीक्षा 12 स्तर के हो। (ii) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह-1 में शामिल न हो जैसे—एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम, एम.एड इत्यादि	820	530
समूह-3- स्नातक स्तरीय अन्य डिग्री पाठ्यक्रम (जो समूह-1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं) जैसे—बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम., बी.एड इत्यादि।	570	300
समूह-4- सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो। आई टी आई पाठ्यक्रम, त्रिवर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम	380	230

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अनुसूचित जाति)

- आय—सीमा— रु. 2.50 लाख तक वार्षिक आय,
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरें वर्ष 2020–21 से वर्ष 2025–26 तक निम्नानुसार लागू हैं :—

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)	
	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह-1- डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय प्रोफेशनल पाठ्यक्रम	13500	7000
समूह-2 - डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट से संबंधित अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम	9500	6500
समूह-3- स्नातक एवं स्नातकोत्तरीय स्तरीय अन्य पाठ्यक्रम (जो समूह-1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं)	6000	3000
समूह-4- सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो।	4000	2500

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य शासन की दर (पिछड़ा वर्ग)

- आय—सीमा—रु. 1,00,000 /— तक वार्षिक
- वर्तमान में उक्त छात्रवृत्ति राज्य आयोजना से दी जा रही है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार हैं :—

समूह	अध्ययन का वर्ष	छात्रवृत्ति की दरें (माहवार रूपये)			
		छात्रावासी	गैर छात्रावासी	छात्र	छात्रा
अ—मेडिकल तथा इंजीनियरिंग	प्रथम वर्ष	210	220	100	100
	द्वितीय वर्ष	210	255	100	115
बी.व्ही.एस.सी. तथा बी.एस.सी. (कृषि)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
	द्वितीय वर्ष	185	200	100	115
आ—डिप्लोमा कोर्सेस, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस	प्रथम वर्ष	130	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	130	135	100	110
इ—सर्टिफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कार्मस	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
ई—सर्टिफिकेट कोर्सेस अप टू ग्रेजुएट लेवल व बाद के वर्ष	प्रथम वर्ष	100	110	55	70
	द्वितीय वर्ष	115	130	70	85
स—कक्षा — 11वीं		100	110	50	60
कक्षा — 12वीं		100	110	55	70



अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति शाखा की जानकारी (अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति शाखा)

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी समुदाय) के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक विकास के प्रयासों को प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा के लिए पड़ने वाले आर्थिक भार को कम करने के उद्देश्य से निम्नांकित योजनाएं प्रारंभ हैं :—

1. मैट्रिक पूर्व (प्री. मैट्रिक) छात्रवृत्ति
2. मैट्रिकोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति
3. मेरिट सह साधन आधारित (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्ति

भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक समुदायवार लाभान्वितों की संख्या नियत की जाती है। अतः नियत संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निर्धनता सह प्रावीण्यता के आधार पर चयन किया जाता है। कुल देय छात्रवृत्तियों का न्यूनतम 30 प्रतिशत छात्राओं को देय होता है, परन्तु वांछित संख्या तक छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त न होने पर उक्त छात्रवृत्ति छात्रों को दी जाती है।

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में उपर्युक्त योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग पर है। लक्ष्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। नवीनीकरण के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं की जाती है।

योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :—

1. मैट्रिक पूर्व (प्री. मैट्रिक) छात्रवृत्ति

यह योजना वर्ष 2008–09 से प्रारंभ की गई है। यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 1ली से 10वीं तक के उन विद्यार्थियों को प्राप्त होती है, जो भारत के अन्दर शासकीय तथा निजी स्कूलों के साथ-साथ शासकीय आवासीय स्कूल तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित निजी आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत है। इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत राशि का वहन किया जाता है।

प्रति शिक्षण वर्ष में 10 माह हेतु निम्नानुसार प्रवेश शुल्क, शिक्षण तथा भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है :—

क्रमांक	विवरण	छात्रावासी	दिवा स्कालर (गैर छात्रावासी)	रिमार्क
1	कक्षा 1ली से 5वीं तक (भरण-पोषण भत्ता)	—	100 /— प्रतिमाह	अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो।
2	कक्षा 6वीं से 10वीं तक	प्रवेश शुल्क	500 /— प्रतिवर्ष	500 /— प्रतिवर्ष
		शिक्षण शुल्क	350 /— प्रतिमाह	350 /— प्रतिमाह
		भरण पोषण भत्ता	600 /— प्रतिमाह	100 /— प्रतिमाह



पात्रता :-

- पिछली वार्षिक परीक्षा में (कक्षा 11ी को छोड़कर) 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त होने पर।
- पालक की वार्षिक आय 1.00 लाख से अधिक न होने की स्थिति में।
- बैंक में खाता हो।

उपबंध :-

- यह छात्रवृत्ति एक परिवार के केवल दो विद्यार्थियों को दी जाती है।
- 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिह्नित है।

आवेदन, चयन एवं वितरण की प्रक्रिया :-

भारत सरकार की वेबसाइट www.scholarships.gov.in में विद्यार्थियों द्वारा "आनलाईन" आवेदन किया जाकर forward/Submit किया जाता है तत्पश्चात् संस्था एवं जिला कार्यालय के द्वारा Scrutiny की जाती है। भारत सरकार के द्वारा ऑनलाईन चयन किया जाता है व डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि :-

वर्ष	लक्ष्य/ उपलब्धि	मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	योग
	लक्ष्य (नवीन)	6607	6293	898	904	789	0	15491
2021-22	नवीन	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। वर्ष 2021–22 में भारत सरकार के द्वारा 4476 विद्यार्थियों को राशि रूपये 135,00 लाख छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर डी.बी.टी. के माध्यम से वितरीत की गई है।						
	उपलब्धि	नवीनीकरण						
		योग						
2022-23	लक्ष्य (नवीन)	6607	6293	898	904	789	0	15491
	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली स्तर से डी.बी.टी. के माध्यम से वर्ष 2022–23 छात्रवृत्ति की राशि वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।					
		नवीनीकरण						
		योग						

2. मैट्रिकोन्टर (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति :-

यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू है। यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 11वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, एम. फिल एवं पी.एच.डी में अध्ययनरत / शोधरत विद्यार्थियों को जो भारत के अन्दर शासकीय तथा निजी स्कूलों के साथ-साथ शासकीय आवासीय स्कूल तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित निजी आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं महाविद्यालय / विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हैं।



प्रति शिक्षण वर्ष में 10 माह हेतु निम्नानुसार प्रवेश शुल्क, शिक्षण तथा भरण—पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है :-

क्र.	विवरण	छात्रावासी	दिवा स्कालर	स्थान
1	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क, कक्षा 11वीं एवं 12वीं	7,000/- प्रतिवर्ष	7,000/- प्रतिवर्ष	
2	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क, कक्षा 11वीं एवं 12वीं स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम	10,000/- प्रतिवर्ष	10,000/- प्रतिवर्ष	
3	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क स्नातक एवं स्नाकोत्तर	3,000/- प्रतिवर्ष	3,000/- प्रतिवर्ष	
4	अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु)			अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो।
	1. कक्षा 11वीं से 12वीं एवं इस स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम	380/- प्रतिमाह	230/- प्रतिमाह	
	2. स्नातक एवं स्नाकोत्तर (तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम छोड़कर)	570/- प्रतिमाह	300/- प्रतिमाह	
	3. एम.फिल. और पी.एच.डी.	1200/- प्रतिमाह	550/- प्रतिमाह	

पात्रता :-

- जिन्होने पिछली वार्षिक परीक्षा में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किया हो।
- जिनके पालक की सभी स्त्रीओं से आय रूपये 2.00 लाख वार्षिक से अधिक न हो।
- बैंक में खाता हो।

उपबंध :-

- यह छात्रवृत्ति एक परिवार के केवल दो विद्यार्थियों को दी जा सकेगी।
- 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए विनिहित की गई है।
- किसी भी अन्य योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
- छात्रवृत्ति का नवीनीकरण कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने एवं निर्धारित वार्षिक आय पर किया जावेगा।
- किसी भी तरह के त्रुटिपूर्ण/फर्जी जानकारी दिया जाना पाए जाने पर अथवा किसी कदाचरण के प्रमाणित होने पर छात्रवृत्ति निरस्त की जावेगी।

आवेदन की प्रक्रिया :-

भारत सरकार की वेबसाईट www.scholarships.gov.in में विद्यार्थियों द्वारा "आनलाईन" आवेदन किया जाकर forward/Submit किया जाता है तत्पश्चात् संस्था एवं जिला कार्यालय के द्वारा Scrutiny की जाती है। भारत सरकार के द्वारा ऑनलाईन चयन किया जाता है व डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।



वर्ष	लक्ष्य/ उपलब्धि	मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	योग
	लक्ष्य (नवीन)	1058	1035	180	169	145	02	2589
2021-22	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। वर्ष 2021–22 में भारत सरकार के द्वारा 2745 विद्यार्थियों को राशि रूपये 154,00 लाख छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर डी.बी.टी. के माध्यम से वितरीत की गई है।					
		नवीनीकरण						
		योग						
	लक्ष्य (नवीन)	1058	1035	180	169	145	02	2589
2022-23	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली स्तर से डी.बी.टी. के माध्यम से वर्ष 2022–23 छात्रवृत्ति की राशि वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।					
		नवीनीकरण						
		योग						

3. मेरिट सह साधन आधारित (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्ति

यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू है। छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के समस्त तकनीकी पाठ्यक्रमों (जैसे बीई, एमई, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीए, एलएलबी इत्यादि शामिल हैं। इसकी विस्तृत सूची भारत सरकार के वेबसाईट एवं tribal.cg.gov.in पर देखे जा सकते हैं) में भारत के अंदर स्थित शैक्षणिक संस्थाओं तथा भारत सरकार द्वारा सूचित संस्थाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को दी जाती हैः—

क्रमांक	विवरण	छात्रावासी	दिवा स्कालर
1	अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु)	रु. 1000/- प्रतिमाह की दर से कुल रु. 10,000/-	रु. 500/- प्रतिमाह की दर से कुल 5,000/-
2	पाठ्यक्रम शुल्क	रु. 20,000/- प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो।	रु. 20,000/- वार्षिक या वास्तविक जो भी कम हो

पात्रता :-

1. यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जावेगी जिनका चयन मान्यता प्राप्त तकनीकी/व्यवसायिक संस्थाओं की प्रवेश परीक्षा में प्रावीण्य के आधार पर हुआ है।
2. यदि विद्यार्थी का प्रवेश बिना प्रतियोगी परीक्षा के हुआ है तो भी वे छात्रवृत्ति पाने के योग्य होंगे, बशर्ते उनका हायर सेकेण्डरी/स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक या इससे अधिक हो।
3. जिनके पालक की सभी स्त्रीओं से आय रूपये 2.50 लाख वार्षिक से अधिक न हो।
4. बैंक में खाता होना आवश्यक है।



उपबंध :-

- 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित की गई है।
- किसी भी अन्य योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र / छात्राओं को इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
- किसी भी तरह के ब्रुटिपूर्ण / फर्जी जानकारी दिया जाना, पाए जाने पर अथवा किसी कदाचरण के प्रमाणित होने पर छात्रवृत्ति निरस्त की जावेगी।

आवेदन की प्रक्रिया :-

भारत सरकार की वेबसाईट www.scholarships.gov.in में विद्यार्थियों द्वारा "आनलाईन" आवेदन किया जाकर forward/Submit किया जाता है तत्पश्चात् संस्था एवं जिला कार्यालय के द्वारा Scrutiny की जाती है। भारत सरकार के द्वारा ऑनलाईन चयन किया जाता है व डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि :-

वर्ष	लक्ष्य/ उपलब्धि	मुस्लिम	इसाइ	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	योग
लक्ष्य (नवीन)	127	124	22	20	17	0	310	
2021-22	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। वर्ष 2021-22 में भारत सरकार के द्वारा 518 विद्यार्थियों को राशि रूपये 143.00 लाख छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर डी.बी.टी. के माध्यम से वितरीत की गई है।					
		नवीनीकरण						
		योग						
2022-23	लक्ष्य (नवीन)	127	124	22	20	17	0	310
	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली स्तर से डी.बी.टी.					
		नवीनीकरण	के माध्यम से वर्ष 2022-23 छात्रवृत्ति की राशि वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।					
	योग							

शोधेण्ठ



रोजगार मूलक योजनाएं

बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा योजना

यह योजना वर्ष 2009–10 से प्रारंभ की गयी है। योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष संचालक चिकित्सा शिक्षा के प्रावीण्य सूची के आधार पर अनुसूचित जाति वर्ग के 155 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 245 इस प्रकार कुल 400 विद्यार्थियों हेतु शैक्षणिक, छात्रावास एवं मेस शुल्क की राशि दिये जाने का प्रावधान है। अब तक अनुसूचित जाति के 1810 एवं अनुसूचित जनजाति के 2849 इस प्रकार कुल 4659 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कक्षा 8वीं उत्तीर्ण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को वाहन चालक का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008–09 से प्रारंभ की गयी है। योजनांतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

रविदास चर्मशिल्प योजना

प्रदेश के चर्म सिलाई के व्यवसाय में लगे लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 2008–09 में रविदास चर्मशिल्प योजना प्रारंभ की गयी है। इसके तहत अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मोर्ची पेटी औजार सहित निःशुल्क प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि रु. 30.00 लाख का बजट प्रावधान है।

हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की छात्र/छात्राओं को एयर होस्टेस, एविएशन, हॉस्पिटालिटी तथा होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा प्रशिक्षण योजना वर्ष 2006–07 से प्रारंभ की गयी थी। वर्ष 2013–14 यथा संशोधित “हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट” अंतर्गत डिप्लोमा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योजनांतर्गत प्रत्येक वर्ष कुल 100 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। अब तक अनुसूचित जाति के 316 एवं अनुसूचित जनजाति के 179 कुल 495 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।



आदिवासी संस्कृति का संरक्षण एवं विकास संबंधित योजनाएँ

आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता

आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासियों को सांस्कृतिक वाद्य यंत्र क्रय करने हेतु अनुदान रूपरूप प्रति दल राशि रु. 10,000/- दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2022-23 में राशि रूपरूप 59.00 लाख का बजट प्रावधान है। वर्ष 2022-23 में 590 हितग्राहियों के लिए राशि रूपरूप 59.00 लाख जिलों को आबंटन उपलब्ध कराया गया है।

देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत योजना

आदिवासी सांस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासी बाहूल्य क्षेत्रों में आदिवासियों के पूजा एवं श्रद्धा स्थलों (देवगुड़ी) के निर्माण एवं मरम्मत योजना वर्ष 2006-07 से संचालित हैं। योजनांतर्गत देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत हेतु वर्ष 2017-18 से प्रति देवगुड़ी राशि रु. 1,00000/- रूपरूप उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2021-22 में प्रति देवगुड़ी राशि रूपरूप 1,00,000/- के स्थान पर अधिकतम राशि रूपरूप 5,00,000/- प्रति देवगुड़ी शासन स्वीकृति प्रदाय की गई है। वर्ष 2022-23 में राशि रु. 600.00 लाख का बजट प्रावधान है। जिसमें से राशि रूपरूप 279.00 लाख जिलों को आबंटन उपलब्ध कराया गया है।



अशासकीय संस्थाओं को अनुदान

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के हितार्थ कार्य कर रही अशासकीय संस्थाओं को विभागीय अशासकीय संरक्षा अनुदान नियम 2006 में प्रावधानों के अनुसार अनुदान दिया जाता है। इस हेतु वर्ष 2022-23 में प्रावधान निम्नानुसार है:-

अनुदान प्राप्त संस्थायें	प्रावधान (लाख में)	जारी आवंटन (लाख में)
अशासकीय संस्थाओं को अनुदान		
अनुसूचित जनजाति	1800.00	1235.94
अनुसूचित जाति	173.00	120.00



अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, संशोधन अधिनियम-2015 यथा संशोधित अधिनियम 2018 अंतर्गत राहत योजना

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर गैर अनुसूचित जाति / जनजाति व्यक्तियों के द्वारा अत्याचार अपराध करने का निवारण के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास से संबंधित विषयों के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम—1989 संशोधन अधिनियम 2015 तथा मूल अधिनियम 1989 में पुनः 2018 में संशोधन कर संशोधन अधिनियम 2018 लागू किया गया है।

छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम 1995 संशोधन नियम 24 अगस्त 2016 के द्वारा नियम 7 राहत एवं सहायता अंतर्गत देय राहत राशि इस प्रकार है :—

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना (अधिनियम की धारा 3(1)(क))	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए, संदाय निम्नानुसार किया जाए : (i) क्रम संख्यांक (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 10 प्रतिशत और क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाता है तब 50 प्रतिशत। (iii) जब अभियुक्त व्यक्ति क्रम संख्या (2) और (3) के लिए अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है तब 40 प्रतिशत और इसी प्रकार क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए 25 प्रतिशत।
2	मल—मूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ख))	
3	क्षति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ग))	
4	जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध नग्न घुमाना (अधिनियम की धारा 3 (1)(घ))	
5	बलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसे कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुँडन करना, मूँछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना (अधिनियम की धारा 3(1)(ड.)	
6	भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करना (अधिनियम की धारा 3(1)(च))	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए। जहां आवश्यक हो वहां संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी खर्च पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा वापस लौटाई जाएगी। पीड़ित व्यक्ति को निम्नानुसार संदाय किया जाएगा :
7	भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों जिनके अंतर्गत वन अधिकार भी हैं, के साथ हस्तक्षेप करना (अधिनियम की धारा 3(1)(च))	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।



क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
8	बेगार या अन्य प्रकार के बलातश्रम या बंधुआ श्रम (अधिनियम की धारा 3(1)(ज))	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :
9	मानव या पशु शर्वों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना (अधिनियम की धारा 3(1)(झ))	1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।
10	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ज))	3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
11	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समर्पण का संवर्धन करने (अधिनियम की धारा 3(1)(ट))	
12	मतदान करने या नामनिर्देशन फाइल करने से निवारित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ठ))	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :
13	पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक अभित्रस्त करना या उनमें व्यवधान डालना को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या (अधिनियम की धारा 3(1)(ड))	1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।
14	मतदान के पश्चात हिंसा और सामाजिक (अधिनियम की धारा 3(1)(ड)) तथा आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपण	2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।
15	किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ण))	3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
16	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाइयां संस्थित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(त))	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रुपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :



क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		<ol style="list-style-type: none">प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
17	किसी लोकसेवक को कोई मिथ्या और तुच्छ सूचना देना (अधिनियम की धारा 3(1)(थ))	<p>पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <ol style="list-style-type: none">प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
18	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित करने के लिए अभित्रास (अधिनियम की धारा 3(1)(द))	<p>पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <ol style="list-style-type: none">प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशतन्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
19	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली गलौज करना (अधिनियम की धारा 3(1)(घ))	
20	धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या उसे अपवित्र करना (अधिनियम की धारा 3(1)(न))	
21	शत्रुता, घृणा वैमन्स्य की भावनाओं में अभिवृद्धि करना (अधिनियम की धारा 3(1)(प))	



क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
22	अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना (अधिनियम की धारा 3(1)(फ)	
23	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग करके जो लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हों, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना (अधिनियम की धारा 3 (1)(ब)	<p>पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निमानुसार किया जाएगा :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
24	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 326 ख (1860 का 45) स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(फक)	<p>(क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आंख, कान, नाक और मुँह के प्रकार्य ह्वास और या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रुपए।</p> <p>(ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसकी शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच में जला हुआ है, चार लाख पन्द्रह हजार रुपए।)</p> <p>(ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है, को पचासी हजार रुपए।</p> <p>इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले के पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा।</p> <p>मद (क) से (ग) के निवंधानुसार संदाय निमानुसार किया जाएगा :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत। 2. चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत।



क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
25	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354(1860 का 45) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस हमला या अपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(टक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
26	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354(1860 का 45) (लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत
27	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354ख (1860 का 45) निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत
28	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354ग (1860 का 45) दृश्यरतिकता (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।
29	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354घ (1860 का 45) पीछा करना (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. चिकित्सा परीक्षा और पृष्ठिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत।



क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
30	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376ख (1860 का 45) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	<p>पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. चिकित्सा परीक्षा और पृष्ठिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
31	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376ग (1860 का 45) प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	<p>पीड़ित व्यक्ति को चार लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. चिकित्सा परीक्षा और पृष्ठिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
32	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 509(1860 का 45) शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	<p>पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एमआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
33	जल को दूषित या गंदा करना (अधिनियम की धारा 30(1)(भ))	सामान्य सुविधा जिसके अंतर्गत जब पानी दूषित कर दिया जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला विनिश्चय की जाने वाली प्राधिकारी द्वारा प्रकृति की सामुदायिक अस्तियों को सुजित



क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
34	लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूद्धिजन्य अधिकार से इन्कार या लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने में बाधा पहुंचाना (अधिनियम की धारा 31(1)(म))	<p>करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाए।</p> <p>संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रुपए और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
35	गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना (अधिनियम की धारा 3(1)(य))	<p>संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए की राहत तथा सरकारी खर्च पर गृह का पुनः संनिर्माण, यदि विनिष्ट हो गया है। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
36	निम्नलिखित के संबंध में, किसी रीति के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हो बांधा डालना या निवारित करना – (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ))	(अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों, कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र



क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		<p>प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रुपए की राहत। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूना आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना (अधिनिमय की धारा 3(1)(यक) (आ))	<p>(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेना (अधिनिमय की धारा 3(1)(यक)(इ))	<p>(इ) अन्य व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक</p>



क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		<p>लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के साथ या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग। (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(ई)	<p>(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के साथ या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षे प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(उ) कोई व्यवयाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारवार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार है। (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(उ)	<p>(उ) कोई व्यवयाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारवार करने या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p>



क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		<ol style="list-style-type: none"> प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
37	डायन होने या जादू-टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि कारित करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(यख))	<p>पीड़ित को एक लाख रुपए और उसके अनादर बेइज्जती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार संदाय।</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
38	सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना (अधिनियम की धारा 3(1)(यग))	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष जिसका संदाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जाएगा।
39	मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना (अधिनियम की धारा 3(2)(i) और (ii))	<p>पीड़ित को चार लाख पचास हजार रुपए संदाय निमानुसार किया जाएगा :</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।



क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
40	भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो दस वर्ष से या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है। (अधिनियम की धारा 3(2))	<p>पीड़ित और उसके आश्रितों को चार लाख रुपये। इस रकम में फेरफार हो सकता है, यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबन्ध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
41	भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, जो ऐसे दंड से दंडनीय है जैसा ऐसे अपराधों के लिए भारतीयदंड संहिता में विनिर्दिष्ट किया गया है। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(अं))	<p>पीड़ित और उसके आश्रितों को दो लाख रुपये। इस रकम में फेरफार हो सकता है, यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबन्ध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
42	लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना। (अधिनियम की धारा 3(2)(vii))	<p>पीड़ित और उसके आश्रितों को दो लाख रुपये। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
43	निःशक्तता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं 16–18 / 97— एनआई तारीख 1 जून 2001 में यथा प्रमाणन की प्रक्रिया कि लिए अंतर्विष्ट विभिन्न निःशक्तताओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। अधिसूचना की एक प्रति उपाबंध 2 पर है।	



क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
	(क) शत-प्रतिशत अक्षमता।	<p>पीड़ित को आठ लाख और पच्चीस हजार रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ख) जहाँ अक्षमता शत-प्रतिशत से कम है किन्तु पचास प्रतिशत से अधिक है।	<p>पीड़ित को चार लाख और पचास हजार रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ग) जहाँ अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है।	<p>पीड़ित को दो लाख और पचास हजार रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
44	<p>बलात्संग या सामूहिक बलात्संग</p> <p>(i) बलात्संग (भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 375)</p>	<p>पीड़ित को पांच लाख रुपए संदाय पीड़ित को पांच लाख रुपए संदाय</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
	(ii) सामूहिक बलात्संग (भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 376 घ)	<p>पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रुपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।



क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
45	हत्या या मृत्यु	पीड़ित का आई लाख पच्चीस हजार रुपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. शव परीक्षा के पश्चात् 50 प्रतिशत । 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाने पर ।
46	हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बालत्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों के अतिरिक्त अनुतोष	पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रबंध किया जाएगा :— 1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पांच हजार रुपये की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता, जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरंत क्रय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध : 2. पीड़ित के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण—पोषण। बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा।
47	घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना	ईटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराना जहां उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।"

उक्त अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार पीड़ित व्यक्ति / परिवार को सहायता पहुंचाने हेतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 बनाया गया है। इस नियम के अंतर्गत आकस्मिकता योजना नियम 1995 द्वारा पीड़ित व्यक्तियों / परिवारों को राहत एवं पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राज्य शासन की अधिसूचना 23.08.2012 के द्वारा अत्याचार



पीड़ितों को देय राहत एवं पुनर्वास सहायता की दरों में न्यूनतम 140 प्रतिशत से 166 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है तथा हत्या / मृत्यु के मामले में जीवन निर्वाह भत्ते की दर में 200 प्रतिशत वृद्धि की गई है। अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1) या 3(2) की विभिन्न उपधाराओं के अंतर्गत विभिन्न अत्याचार अपराध से उत्पादित अनुसूचित जाति / जनजाति समुदाय के व्यक्ति, उनके परिवार या आश्रितों को राहत एवं पुनर्वास सहायता की पात्रता होगी। वर्ष 2021–22 में अधिनियम के तहत घटित अपराधों में अनुसूचित जाति / जनजाति के कुल 1093 व्यक्तियों को राहत सहायता दी गई है। वर्ष 2022–23 में माह नवम्बर 2022 की स्थिति में 560 अत्याचार पीड़ितों को राहत सहायता स्वीकृत की गई है।

उक्त अधिनियम के तहत बनाये गये अत्याचार निवारण नियम 1995 की धारा 9 के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़ को नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। उक्त नियम की धारा 16 के तहत प्रदेश में अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत एवं पुनर्वास तथा उनसे संबंध मामलों पर विचार / समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित तथा नियम 16 (2) के अनुसार कैलेण्डर वर्ष 2022 में उक्त समिति की बैठक 25 अगस्त 2022 को आयोजित की गई है। नियम 17 (1) के अनुसार प्रदेश के समस्त 28 जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समितियों का गठन किया जाता है तथा नियम 17 (3) के अनुसार जिला स्तर पर इन समितियों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

अनुसूचित जाति / जनजाति के विरुद्ध अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में 13 जिलों यथा जिला—रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, कबीरधाम, महासमुंद, जांजगीर एवं कोरबा में विशेष थाना (पुलिस) स्थापित किए जाकर कार्यरत हैं। शेष 14 जिलों में क्रमशः धमतरी कांकेर, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव एवं सुकमा में आजाक प्रकोष्ठ स्थापित होकर संचालित हैं।

उपरोक्त मामलों में त्वरित कार्यवाही हेतु प्रदेश में विशेष 11 जिलों में यथा जिला—रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगलदपुर, बिलासपुर, सरगुजा, जांजगीर, जशपुर, कोरबा, कोरिया एवं रायगढ़ में स्थापित किया जाकर कार्यरत है।

- अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत जिला जांजगीर—चांपा, जशपुर, कोरबा, कोरिया (बैकुण्ठपुर) एवं रायगढ़ जिला मुख्यालयों की स्थापना हेतु प्रति न्यायालय 10 पद के मान से विशेष न्यायाधीश (एट्रो.) एवं स्टाफ के पद सहित कुल 50 पद स्वीकृत किए गए हैं।
- अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) सहायता एवं पुनर्वास, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन, अस्पृश्यता निवारणार्थ सदभावना शिविर आयोजन संबंधी योजनाएँ केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ हैं, जो कि 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश से क्रियान्वित की जाती हैं।



राहत एवं पुनर्वास सहायता :-

अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत राहत एवं पुनर्वास सहायता हेतु वर्ष 2022–23 में प्राप्त आबंटन राशि रु. 2037.91 लाख जिलों को जारी किया गया है, जिसका व्यय जिलों द्वारा किया गया है। छ.ग. शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 208 / 02357 / वित्त / बजट–4 / 2016 दिनांक 26.05.2016 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत पीड़ित को राहत राशि के देयक बजट आबंटन के अभाव में कोषालय से आहरित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर :-

अनुसूचित जातियों के विकास एवं कल्याण तथा उनके प्रति अस्पृश्यता के कलंक को मिटाने हेतु जिला एवं ब्लाक स्तर पर सद्भावना शिविरों को आयोजन किया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे रुद्धियों और व्यक्तियों के विरुद्ध स्वच्छ निर्मल एवं सामाजिक वातावरण बनाने की पहल है। सामान्यतः सद्भावना शिविर का आयोजन 02 अक्टूबर को देश/प्रदेश के अन्य अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति के महापुरुषों की जन्मतिथि/जयंती पर किया जाना है।

अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत सद्भावना शिविर के आयोजन हेतु वर्ष 2022–23 में राशि रु. 31.50 लाख जिलों को जारी किया गया है, जिसके व्यय की कार्यवाही जिलों में की जा रही है।

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

इस योजना का मूल उद्देश्य अस्पृश्यता उन्मूलन की दशा में सर्वर्ण लड़के या लड़की द्वारा अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से विवाह कर उठाए गए आदर्श कदम हेतु पुरस्कृत एवं सम्मानित करना है। राज्य शासन द्वारा योजनान्तर्गत दिनांक 13 अप्रैल 2018 से प्रति दंपत्ति रु. 2,50,000/- सम्मान राशि दिए जाने का प्रावधान है।

- वर्ष 2022–23 में छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम के अन्तर्गत राशि रु. 992.50 लाख जिलों को जारी किया गया है। जिसके व्यय की कार्यवाही जिलों में की जा रही है। वित्त विभाग छ.ग. शासन के पत्र क्रमांक 1274 / 02357 / वि / बजट–4 / 2015 दिनांक 26.12.2015 के द्वारा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के देयक बजट आबंटन के अभाव में कोषालय से आहरित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मैनुअल स्केवेंजर्स के सर्वेक्षण

छत्तीसगढ़ शासन हाथ से मैला ढुलाई की अमानवीय कुप्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाथ से मैला ढुलाई के रूप में रोजगार के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 36 के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा नियम दिनांक 04.03.2014 को अधिसूचित किया जाकर छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रदेश में नगरीय निकायों में अस्वच्छ



शौचालयों के सर्वेक्षण का कार्य सभी 168 नगरीय निकायों में किया गया है तथा 4391 अस्वच्छ शौचालय चिन्हांकित किए गए हैं वर्ष 2020 तक सभी 4391 अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित किया जा चुका है। छ.ग. राज्य के जिला मुंगेली में 03 मैनुअल स्केवेंजर्स सर्व में पाए गए थे, जिन्हें नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा पुर्णस्थापित की जा चुकी है। छ.ग. राज्य में वर्तमान में कोई मैनुअल स्केवेंजर नहीं है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु वर्ष 2015–16 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की गई है। जिसके क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का एकीकृत विकास हेतु गाइड लाईन तथा केन्द्रांश जारी किया गया है।

उक्त योजनांतर्गत प्रथम चरण में छ.ग. राज्य के जिला बेमेतरा में 30, बलौदाबाजार में 40, जांजगीर-चांपा में 30, बिलासपुर में 35 तथा मुंगेली में 40 ग्राम इस प्रकार 175 ग्रामों का चयन किया गया है। चयनित ग्रामों में अनुसूचित जाति के परिवारों की मूलभूत आवश्यकताएँ यथा—आवास, पेयजल, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक, आर्थिक विकास इत्यादि तथा चयनित ग्रामों में उपलब्ध / आवश्यक अधोसंरचना के संबंध में ग्रामवार बेस लाईन सर्वेक्षण कर विलेज डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाकर विकास किया जाएगा। उक्त योजनांतर्गत कुल राशि रु. 8125.00 लाख का आवंटन उपलब्ध हुआ है, जिसका पुनर्राखिंटन संबंधित जिलों को किया जा चुका है। भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत द्वितीय सोपान द्वारा छ.ग. राज्य के 20 जिलों के 648 नवीन ग्रामों में योजना का क्रियान्वयन किया जाना है।





सम्मान पुरस्कार

छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग योजनांतर्गत शहीद वीर नारायण सिंह, स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्टे एवं गुरुधासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान पुरस्कार हेतु विज्ञापन के माध्यम से प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त प्रविष्टियों के आधार पर विभाग द्वारा गठित निर्णायक मण्डल द्वारा पात्र व्यक्ति / संस्था का चयन कर पुरस्कृत किया जाता है।

शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार :-

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार राशि रु. 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। वर्ष 2022–23 में श्री नारायण मरकाम ग्राम डोहलापारा, अडेगा तहसील केसकाल, जिला कोण्डागांव, छ.ग. को पुरस्कृत किया गया है।

स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्टे स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार :-

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों की सेवा करने और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी एक संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। पुरस्कार राशि रु. 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। वर्ष 2022–23 में संस्था आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित रायपुर, एमआईजी–42, नगर निगम सामुदायिक भवन के सामने, टाटीबंध जिला रायपुर को पुरस्कृत किया गया है।

गुरु घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान पुरस्कार

छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा अनुसूचित जाति वर्गों के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने के लिये प्रदेश के महान संत गुरुधासीदास की स्मृति में सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष 2022–23 में श्री खेमचंद भारती पिता स्व. श्री अकालूराम भारती, ग्राम नाथुमवागांव, पोस्ट तुमडीगाबोड, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव छ.ग. को पुरस्कृत किया गया है।

स्व. हाजी हसन अली पुरस्कार :-

“स्व. हाजी हसन अली पुरस्कार” अंतर्गत उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय साहित्य रचनाओं तथा साहित्य साधना को सम्मानित करने और उनमें एक राष्ट्रीय कीर्तिमान विकसीत करने की दृष्टि से उक्त



पुरस्कार योजना के संबंध में राज्य स्तरीय सम्मान की शासन द्वारा स्थापना की गई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में उक्त योजना अंतर्गत राशि रु. 2.50 लाख की राशि प्रावधानित है। जिसे स्वीकृत कर सचिव, छ.ग. राज्य राज्य उद्यू अकादमी को प्रदत्त की गई है। वर्ष 2022–23 के लिए उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय साहित्यिक रचनाओं तथा साहित्य साधना करने वाले चयनीत व्यक्ति श्री ‘जनाब यूसुफ खान’ संजय नगर रायपुर को पुरस्कार राशि के रूप में रु. 2.00 लाख का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है।

लोक कला महोत्सव :-

शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव :-

शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान भवन जिला बलौदा बाजार में किया जाता है। इसके अंतर्गत आदिवासियों की लोक नृत्य प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में समिलित आदिवासी लोक कला दल को प्रथम पुरस्कार राशि रु. 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार राशि रु. 0.50 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि 0.25 लाख दिया जाता है।

उपर्युक्त महोत्सव का उद्देश्य शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत को चिरस्मरणीय बनाना तथा आदिवासी लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

गुरु घासीदास लोककला महोत्सव :-

“गुरु घासीदास लोककला महोत्सव” योजना 2005 संचालित है। योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के परम्परागत लोककला जैसे—पंथी, मरथरी, पंडवानी, पारम्परिक वाद्ययंत्रों को प्रोत्साहित किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रथम पुरस्कार राशि रु. 1.00 लाख द्वितीय राशि रु. 0.75 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि रु. 0.50 लाख पुरस्कार दिये जाते हैं।

गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव अंतर्गत जिला स्तर से चयनित लोककला दलों को राज्य के किसी भी जिले में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन कर पुरस्कृत किया जाता है।



छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम

लक्षित वर्ग के कौशल विकास एवं स्वरोजगार हेतु प्रतिबद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम रायपुर छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक 223 दिनांक 30.10.2000 में पंजीकृत है। निगम द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सफाई कामगार वर्गों के आर्थिक विकास की व्यवितमूलक योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा 16 अंत्यावसायी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र राज्य के विभिन्न स्थानों पर संचालित किये जा रहे हैं।

उद्देश्य

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सफाई कामगार को विभिन्न व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ तकनीकी व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे स्वरोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सकें।

बैंक प्रवर्तित योजना

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों को निगम द्वारा अंत्योदय स्वरोजगार योजना व आदिवासी स्वरोजगार योजना का कियान्वयन हितग्राहियों को बैंकों से ऋण दिलाने हेतु किया जाता है। इस योजना में बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 10,000/- तक जो भी कम हो अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान है।

पात्रता

- आवेदक संबंधित जिले का मूल निवासी हो।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो।
- परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रु. 1,50,000/- हो, (परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एवं नाबालिग बच्चे से है)।
- मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंकपास बुक या बिजली बिल आदि।

राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम की आर्थिक विकासपरक विभिन्न स्वरोजगारमूलक कल्याणकारी योजनाएं

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम विभिन्न राष्ट्रीय निगमों (अजा.अजजा.पि.वर्ग, अल्पसंख्यक, सफाई कामगार) की वित्तीय ऋण सहायता से विभिन्न प्रकार के स्वरोजगारोन्मुखी योजनाओं का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं सफाई कामगार हेतु संचालित करता है। इसके अतिरिक्त इन वर्गों के विद्यार्थियों के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। व्यवसायिक उच्च शिक्षा हेतु ऋण देश या विदेश में अध्ययन के लिए दिया जाता है।



राष्ट्रीय निगमों की चेनलाईजिंग एजेन्सी

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एंव विकास निगम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एंव विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एंव विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एंव विकास निगम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एंव वित्त निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एंव विकास निगम की चैनेलाईजिंग एजेन्सी के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय निगमों की वित्तीय सहायता से संचालित योजनाएं

विभिन्न राष्ट्रीय निगमों वित्तीय सहायता से ट्रेक्टर ट्राली योजना, गुड्स केरियर योजना, पैसेंजर व्हीकल योजना, स्मॉल बिजनेस योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, टर्म लोन योजना, जनरल लोन योजना, नई स्वर्णिमा (महिला) योजना, स्कीम अप्रोजेक्ट (व्यक्तिमूल) योजना, स्वच्छता से संबंधित वाहन योजना, सेनेटरी मार्ट योजना एंव शिक्षा ऋण योजना संचालित हैं।

व्यवसायों की सूची

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एंव सफाई कामगार के सदस्यों को स्वरूचि के व्यवसाय जैसे ट्रेक्टर ट्राली, खेती, वनोपज क्य-विक्य, सब्जी फल उत्पादन, बागवानी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ऑटो पैसेंजर व्हीकल, ऑटो गुड्स केरियर, ऑटो रिक्शा आदि परिवहन संबंधी, ब्यूटी पार्लर, नाई सेलून की दुकान, साइकिल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर रिपेयरिंग, घरेलू विद्युत फिटिंग वायरिंग, होटल ढाबा, सिलाई दुकान, ऑटो पाटर्स, जूता चप्पल आदि क्षेत्रीय आवश्यकताजनित व्यवसाय। ये व्यवसाय मात्र उदाहरण स्वरूप हैं, आप अपने स्वरूचि व स्थानीय मांग एंव पूर्ति के आधार पर व्यवसाय चयन के लिए स्वतंत्र हैं।

राष्ट्रीय निगमों से संचालित योजनाओं में पात्रता

1. आवेदक संबंधित जिले का मूल निवासी हो। 2. आवेदक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एंव सफाई कामगार वर्ग का हो। (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र) 3. परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण एंव शहरी क्षेत्र में रु. 300000/- से अधिक न हो। 4. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के अधिक न हो। 5. ट्रेक्टर ट्राली के लिए आवेदक के पास खेतीहार भूमि हो। 6. ट्रेक्टर ट्राली एंव वाहन लेने के इच्छुक आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। इसके अतिरिक्त मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक या बिजली बिल एंव संबंधित का पासपोर्ट साइज फोटो 7. ऋण स्वीकृति की स्थिती में आवेदक को ऋण के बराबर का गारंटी दिया जाना आवश्यक होगा।

ब्याज दर

ऋण राशि रु. 5,00,000/- तक की विभिन्न योजनाओं में ब्याज दर 6% वार्षिक तथा ऋण राशि रु. 5,00,000/- से अधिक सभी योजनाओं में ब्याज दर 8% वार्षिक।



योजनाओं का प्रचार-प्रसार

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय निगमों की वित्तीय सहायता से संचालित योजनाओं का जिला स्तर पर दैनिक समाचार पत्रों, शिविर आयोजित कर एवं ब्रोशर पाम्पलेट छपाकर किया जाता है।

चयन प्रक्रिया

हितग्राहीयों का चयन राज्य शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय हितग्राही चयन समिति द्वारा किया जाता है। जिसमें मान.सांसद, मान. विधायक एवं विभिन्न शासकीय विभागों के सदस्य होते हैं।

व्यवसायिक प्रशिक्षण

अनुसूचित जाति व जनजाति के युवक / युवतियों के तकनीकी व्यवसायिक प्रशिक्षण देने का कार्य 10 व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में किया जा रहा है अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में वर्ग के 4 केन्द्र (रायपुर, दुर्ग, रत्नपुर, सांरगढ़) तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में 6 केन्द्र (ऐण्डारोड, अंबिकापुर, नगरी, कोणडागांव, नारायणपुर, कोसा जगदलपुर) है।

प्रशिक्षण पूर्णतः: निःशुल्क दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में शिष्यवृत्ति के रूप में राशि रु. 1000/- प्रति माह उनकी उपस्थिति के मान से दी जाती है।

प्रशिक्षण ट्रेड

एपैरल, इलेक्ट्रीशियन, आटोमोटिव, इलेक्ट्रानिक्स, कंस्ट्रक्शन, इत्यादि।

नियोजन

प्रशिक्षण पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थियों को शासकीय / निजी सेवा क्षेत्र में अंत्यावसायी निगम द्वारा नियोजित किया जाता है, साथ ही स्वरोजगार हेतु इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों को निगम की योजना में लाभान्वित किया जाता है।

सम्पर्क

राज्य स्तरीय कार्यालय- प्रबंध संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, (टी.आर.आई.) द्वितीय तल, मुक्तांगन के पास, सेक्टर-24 नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

जिला कार्यालय - जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति सभी 27 जिला मुख्यालय में।



जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति रायपुर द्वारा ट्रेक्टर ट्राली योजना में ट्रेक्टर ट्राली वितरण



जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मुंगेली द्वारा पैसेंजर व्हीकल योजना में वाहन वितरण



जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति बिलासपुर द्वारा ट्रैक्टर ट्राली योजना अंतर्गत हितग्राहियों को ट्रैक्टर चाबी का वितरण



राष्ट्रीय निगम की विभिन्न योजनाओं में क्रण राशि का चेक वितरण



छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मे संचालित
योजनाओं की प्रगति विवरण 2022-23

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य		उपलब्धि	
		इकाई संख्या	राशि	इकाई संख्या	राशि
1	अंत्योदय स्वरोजगार योजना	1000	5000.00	1863	477.43
2	आदिवासी स्वरोजगार योजना	2000	1000.00	731	234.23
3	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वि.वि. निगम की योजना	280	1112.73	100	465.23
4	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वि.वि. निगम की योजना	50	50.00	28	34.00
योग :-		12330	7162.73	2722	1210.89

४०७४०५




अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 का क्रियान्वयन

छ.ग. राज्य में वर्ष 2008 से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012, का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के अनुसार वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी आवेदक द्वारा कब्जे का दावा करने हेतु दिनांक 13.12.2005 कट ऑफ डेट निर्धारित है। अन्य परंपरागत वन निवासी के मामले में दावाकर्ता का कट ऑफ डेट के पूर्व से तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से उस क्षेत्र के वन / वन भूमि में निवासरत होना भी आवश्यक है।


राज्य में 30.10.2022 तक व्यक्तिगत वन अधिकार हेतु कुल 8,76,270 आवेदन / दावे प्राप्त हुए, जिनमें से 4,64,924 दावे स्वीकृत कर 4,56,357 वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। निरस्त प्रकरणों की समीक्षा की गई है तथा पूर्व में 31.12.2017 तक निरस्त 4,52,275 दावों को पुनर्विचार में लिया जाकर प्रक्रिया के अनुसार उनके निराकरण की कार्यवाही की गई है। 31.12.2017 की स्थिति में निरस्त दावों के पुनर्विचार उपरांत अब तक 34,999 प्रकरण स्वीकृत हुए हैं। इसी प्रकार वन अधिकार के सामुदायिक दावों हेतु कुल 50,988 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 46,424 दावे स्वीकृत कर 45,965 वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। राज्य में व्यक्तिगत वन अधिकारों की मान्यता कुल 3,71,604.984 हेक्टेयर वन भूमि तथा सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता कुल 20,02,067.788 हेक्टेयर वन भूमि पर प्रदाय की गई है।

वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के प्राप्त आवेदन एवं वितरित वन अधिकार पत्र






**वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत ओ.टी.एफ.डी के प्राप्त
आवेदन एवं वितरित वन अधिकार पत्र**



**वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकारों
के प्राप्त आवेदन एवं वितरित वन अधिकार पत्र**



राज्य सरकार का जोर सामुदायिक वन अधिकारों विशेषकर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को स्थानीय वन निवासियों को प्रदान करने पर है ताकि अधिनियम की मंशा के अनुसार स्थानीय समुदाय द्वारा अपने वन संसाधनों की दीर्घकालिक उपभोग हेतु सुरक्षा की जा सके तथा अपनी आजीविका का संवर्धन किया जा सके। इसी के तारतम्य में राज्य में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता के अंतर्गत माह अक्टूबर, 2022 की स्थिति में 3,856 वन अधिकार पत्र संबंधित ग्रामसभाओं की 16,66,716.245 हेक्टेयर भूमि पर वितरित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि देश में पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्र में व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्र भी प्रदाय किए गए हैं। राज्य के विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूहों को पर्यावास के अधिकार प्रदाय करने की कार्यवाही की जा रही है।



व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों की स्केनिंग एवं अपलोडिंग का कार्य CHIPS छत्तीसगढ़ के द्वारा किया जा रहा है। जिससे व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारक आवश्यकतानुसार ऑनलाईन पोर्टल में उपलब्ध दस्तावेजों का उपयोग कर सकेंगे। अब तक 1,28,000 से अधिक वन अधिकार पत्रों के स्केनिंग एवं अपलोडिंग का कार्य किया जा चुका है। साथ ही यूएनडीपी के सहयोग से वन अधिकार संबंधी पूरी प्रक्रिया को ऑनलाईन करने हेतु पायलट टेस्ट भी किया गया है। पूर्व में वन अधिकार अधिनियम, 2006 अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा कागजी प्रक्रिया के तहत वन अधिकार के दावे प्रस्तुत किए जा रहे थे जिसके कारण प्रक्रिया के नियमानुसार क्रियान्वयन में कई व्यावहारिक समस्याएं सामने आती थीं। ऑनलाईन प्रक्रिया होने से इन्हीं समस्याओं का निदान हो सकेगा एवं वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी। इसकी मॉनिटरिंग भी पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी।

राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन सभी जिलों में (रायपुर, दुर्ग एवं बेमेतरा को छोड़कर) प्रतिबद्धतापूर्वक किया जा रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य, देश में विभिन्न वन अधिकारों की मान्यता देने में अग्रणी राज्य है।



अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना

अनुसूचित जनजाति उपयोजना -

जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल से आदिवासी उपयोजना की रणनीति अपनाई गई। इसी रणनीति के तहत विभिन्न पंचवर्षीय योजना काल के दौरान प्रदेश की जनजातियों के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न विकास विभागों द्वारा योजनाएं क्रियान्वित की जाती रही हैं। आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत जनजातियों एवं उपयोजना क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अलग से आयोजना, वित्तीय संसाधन, बजटीय व्यवस्था, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि की संपूर्ण व्यवस्था सभी विकास विभागों के सहयोग से की जाती रही है। इन सारे कार्यों के उत्तरदायित्व का निर्वहन नोडल विभाग यथा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया जाता है। आदिवासी उपयोजना के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं:-

1. जनजातियों का एकीकृत ढंग से सर्वांगीण विकास करना।
2. जनजातियों की सुरक्षा एवं उन्हें हर तरह से शोषण से मुक्ति दिलाना।

आदिवासियों के सर्वांगीण विकास हेतु आदिवासी उपयोजना की रणनीति के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना विकास की समस्या को कार्य दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है:-

1. वे क्षेत्र जिनमें आदिवासी जनसंख्या की बहुलता है।
2. बिखरी हुई जनजातियां।
3. विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह

जनजातियों के सर्वांगीण विकास तथा उनकी जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए Area Specific Approach के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों को सुलभतापूर्वक राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रत्येक विभाग के बजट में ऐसा अनुपातिक प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद की राशि का अन्यत्र / गैर उपयोजना क्षेत्र में उपयोग किए जाने की स्थिति निर्मित ना हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य बजट में मांग संख्या 41, 42, 68, 77, 82 और 83 निर्मित की गयी हैं, जिससे प्रावधानित राशि अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) के अलावा अन्य मदों में उपयोग नहीं की जा सकती है।

अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के विकास एवं उनमें रहने वाले जनजातीय परिवारों के आय बढ़ाने वाली गतिविधियों पर पर्याप्त जोर देने के लिए, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं अन्य वर्गों के मध्य शैक्षणिक, सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अंतर को Gap filling के माध्यम से दूर कर जनजातियों के सामाजिक आर्थिक स्तर को उन्नत करना इसका उद्देश्य है। आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जनजाति परिवारों की आय बढ़ाने वाली योजनाओं



जैसे—कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, शोषण से मुक्ति, मानव संसाधन विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, मूलभूत संरचनाओं का विकास कार्यक्रम जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक बजट में राशि रु. 21492.3410 करोड़ अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए प्रावधानित की गई है।

अनुसूचित जाति उपयोजना -

अनुसूचित जाति उपयोजना पहले विशेष घटक के रूप में जानी जाती थी। अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास पर आधारित अवधारणा है जबकि अनुसूचित जाति उपयोजना का उद्देश्य राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित करना है, किसी क्षेत्र विशेष को नहीं क्योंकि अनुसूचित जातियों का जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष में केन्द्रित न होकर विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है तथापि अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को बुनियादी अधोसंरचना की दृष्टि से अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है।

जिलों की मिश्रित भूमि संरचना एवं अनुसूचित जाति जनसंख्या के फैलाव/बिखराव को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न बृहत सिंचाई, ऊर्जा एवं परिवहन की परियोजनाओं से केवल अनुसूचित जाति जनसंख्या को लाभान्वित कर पाना संभव नहीं है। इसलिये ऐसे कार्यक्रम जिनसे लक्षित समूह को सीधे लाभान्वित किया जा सके जैसे समुदाय पर आधारित संरचनात्मक कार्य पेयजल सुविधा, सामुदायिक केन्द्र, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/बस्तियों में सी.सी.रोड तथा कौशल उन्नयन स्वरोजगार योजना विशेष घटक योजना की अम्बेला योजना अंतर्गत लिए जाते हैं। अनुसूचित जाति उपयोजना की बहुद संकल्पना से विभिन्न क्षेत्रों की अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। इस हेतु विभिन्न विकास विभागों के वार्षिक बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना मद में प्रदेश की अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में बजट प्रावधान रखे जाने पर जोर दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक बजट में कुल राशि रु. 6746.4440 करोड़ के अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए प्रावधानित की गई है।

छान्डोल





भाग - चार



आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का नवा रायपुर स्थित नवनिर्मित भवन एवं संग्रहालय



आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

परिचय :-

भारत सरकार के प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण के समय अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, रीति-रिवाज, रहन-सहन तथा अन्य सांस्कृतिक व अनुसंधानिक तथ्यों के अभाव में इन वर्गों के विकास हेतु योजना निर्माण में कठिनाईयों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में अविभाजित मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिये थे।

राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या के दृष्टिगत भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुशंसा अनुरूप राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत देश की 15वें आदिमजाति अनुसंधान संस्थान की स्थापना 02.09.2004 को राज्य में की गई।

संस्थान के प्रमुख कार्य :-

आदिमजाति अनुसंधान संस्थान के प्रमुख कार्य निम्नांकित हैं :—

- अनुसूचित जनजातियों संबंधी आधारभूत सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना।
- अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन कर इनके निराकरण हेतु शासन को सुझाव देना।
- अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।
- अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में जातियों का इथनोलॉजिकल, एन्थ्रोपोलॉजिकल परीक्षण कर शासन को अभिमत देना।
- अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के निराकरण हेतु देश के प्रमुख विषय-विशेषज्ञों को आमंत्रित कर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना।
- आदिवासी हितों के संरक्षण हेतु बनाये गये विभिन्न अधिनियमों तथा जनजातीय विकास से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना आदि।

संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिनांक 01.04.2022 से 31.10.2022 तक संपादित किये गये कार्यों की बिन्दुवार जानकारी निम्नांकित है :—

मानवशास्त्रीय अध्ययन :-

परधान जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन



नृजातीय अध्ययन :-

1. ओड़िया जनजाति का नृजातीय अध्ययन
2. मुरिया जनजाति का नृजातीय अध्ययन

मूल्यांकन अध्ययन :-

स्वच्छ भारत अभियान के तहत राज्य की विशेष विशेष पिछड़ी जनजातियों में स्वच्छता का मूल्यांकन अध्ययन कार्य पूर्ण सारणीयन एवं प्रतिवेदन लेखन का कार्य किया जा रहा है।

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके तहत राज्य में निवासरत जनजातियों के द्वारा मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के तहत लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की सफलता एवं असफलता का वैयक्तिक अध्ययन (केस स्टडी) का कार्य प्रगति पर है।

प्रकाशन :-

1. मानवशास्त्रीय अध्ययन :-

संस्थान द्वारा राज्य की विभिन्न अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, जीवनशैली आदि पहलुओं पर आधारित निम्नांकित मानवशास्त्रीय अध्ययन प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित किया गया है :—

1. कौंध जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन।
2. धनवार जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन।
3. पारधी जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन।
4. सौता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन।
5. कंडरा जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन।
6. नागवंशी जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन।
7. राजगोड जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन।
8. धुरवा जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन।
9. धांगड़ जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन।







2. मोनोग्राफ अध्ययन :-

राज्य की अनुसूचित जनजातियों के जीवनशैली के एक विशिष्ट पहलु का विस्तृत मोनोग्राफ अध्ययन किया जाकर प्रतिवेदन तैयार कर पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया है, जो निम्नांकित हैं :-

1. बैगा जनजाति में गोदना।
2. भुंजिया जनजाति में गोदना।
3. दन्तोवाड़ा की घोटपाल मड़ई।
4. कोण्डागांव का भंगाराम जात्रा।
5. दन्तोवाड़ा की फागुन मड़ई।
6. नारायणपुर की मावली मड़ई।
7. भुंजिया जनजाति का लाल बंगला।
8. बैगा जनजाति में तीज-त्योहार।
9. कमार जनजाति में हाट-बाजार।
10. बैगा जनजाति में हाट-बाजार।
11. कमार जनजाति में बांस बर्तन निर्माण।
12. खैरवार जनजाति में कत्था निर्माण विधि।



13. सरगुजा संभाग में हड़िया एवं मंद निर्माण विधि।
14. खड़िया जनजाति में प्रथागत कानून।
15. कमार जनजाति में प्रथागत कानून।
16. मझवार जनजाति में प्रथागत कानून।
17. हल्बा जनजाति में प्रथागत कानून।
18. पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रथागत कानून।
19. बिंझवार जनजाति में प्रथागत कानून।
20. गोंड जनजाति में प्रथागत कानून।





कर्नाटक जनजाति में दांस-दर्शन विचारणा
एक सोमवारी का अवृत्तिन



दोपहर जिले का
घोटपाल मङड़ई
0000000000

दोपहर जिले का
फागुन मङड़ई

विडावर जनजाति में
प्रशासन कानून का नोवेलक अध्ययन




दोपहर जिले का संगठन
दोपहर का बोलावाल भिन्नता

बैंगा
विविध जनजाति
का दृष्टिकोण विचारणा



बैंगा हाट बाजार




बैंगा गोदान



३. अभिलेखीकरण :-

छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित अभिलेखीकरण अंतर्गत विभिन्न जनजातियों से संबंधित क्षेत्र अध्ययन किया गया तथा निम्नांकित प्रतिवेदन तैयार कर कॉफीटेबल बुक के रूप में प्रकाशित किया गया :—

१. छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत प्रमुख जनजातीय समुदायों में प्रचलित तीज—त्योहारों का अभिलेखीकरण।



२. राज्य में निवासरत प्रमुख अनुसूचित जनजातियों में प्रचलित पारंपरिक कलाकृतियों, गोदना, शिल्पकला, भित्ति चित्र एवं चित्रकारी का अभिलेखीकरण।

३. छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख जनजातीय समुदायों में प्रचलित दैनिक आहार एवं विशेष अवसरों पर तैयार किये जाने वाले विशेष व्यंजनों का अभिलेखीकरण।



प्रायमर्स निर्माण



राज्य के अनुसूचित जनजाति बैगा द्वारा बोली जाने वाली बैगानी बोली एवं बस्तर संभाग के गोंड जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली गोंडी बोली में प्रायमर्स तैयार कर प्रकाशित किया गया है, जो निम्नानुसार है :—

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| १. बैगानी बोली में गिनती चार्ट | २. बैगानी बोली में वर्णमाला चार्ट |
| ३. बैगानी बोली में बारहखड़ी चार्ट | ४. गोंडी बोली में वर्णमाला चार्ट |
| ५. गोंडी बोली में गिनती चार्ट | |



फोटोहैण्ड बुक :-

राज्य की अनुसूचित जनजातियों के जीवनशैली, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि पहलुओं पर आधारित फोटोहैण्ड बुक की श्रृंखला में कमार एवं गोड जनजाति का अंग्रेजी भाषा में फोटोहैण्ड बुक तैयार कर प्रकाशित किया गया है : -



आदि विद्रोह (TRIBAL REVOLT)

अंग्रेजों की दमनकारी नितियों के विरुद्ध, संघर्ष एवं देश के स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों वीर शहीदों एवं विभिन्न आंदोलनों में उनके योगदानों पर आधारित आदि विद्रोह (हिन्दी संस्करण) एवं TRIBAL REVOLT (अंग्रेजी संस्करण) में पुस्तक तैयार कर उसे कॉफी टेबल बुक के रूप में प्रकाशित किया गया ।





पुस्तकालय :-

लाइब्रेरी डिजिटाईजेशन अंतर्गत पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की प्रथम पेज की स्कैनिंग, बारकोड, ओपेकडेस्क क्रय एवं सॉफ्टवेयर डेवलपमेन्ट संबंधी कार्य किया गया। कार्यालयीन प्रकाशन, दुर्लभ एवं आऊट ऑफ प्रिन्ट पुस्तकों की डिजिटाईजेशन एवं संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्रय करने संबंधी कार्यवाही की जा रही है। पुस्तकालय हेतु 104 संदर्भ साहित्यों एवं विषय वस्तुओं से संबंधित पुस्तकों, 05 मासिक / साप्ताहिक पत्रिकाएं एवं 08 मासिक / त्रैमासिक / अर्धवार्षिक रिसर्च जर्नल्स, 01 कलर फोटोकॉपी मशीन का क्रय किया गया।

संग्रहालय :-

संस्थान के आदिवासी संग्रहालय के लिए दलों द्वारा संग्रहालय में प्रदर्शन योग्य राज्य के विभिन्न जनजातियों की जीवनशैली के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जनजातीय महत्व की वस्तुओं (आर्टिफेक्ट) संकलन का कार्य किया गया है। संग्रहालय की डिजाईन, प्लानिंग, ब्यूटिफिकेशन एवं स्टीमेटिंग कार्य हेतु फर्म का चयन किया गया है। चयनित फर्म से उक्त कार्य का प्रस्ताव प्राप्त कर लिया गया है।


शहीद वीरनारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रा संग्राम सेनानी संग्रहालय सह स्मारक भवन निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

वीडियोग्राफी :-

राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति कमार एवं बिरहोर के जीवनशैली के विभिन्न पहलुओं पर आधारित वीडियोग्राफी डॉक्यूमेंटेशन (डॉक्यूमेन्ट्री फ़िल्म निर्माण) का कार्य पूर्ण किया गया।

जनजातीय साहित्य महोत्सव :-

संस्थान द्वारा दिनांक 19–21 अप्रैल 2022 को 03 दिवसीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का आयोजन राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया गया। उक्त आयोजन में जनजातीय साहित्य परिचर्चा अंतर्गत “पारंपरिक तथा समकालीन जनजातीय साहित्य के संरक्षण तथा विकास के समक्ष उपस्थित चुनौतियाँ एवं आधुनिक संदर्भ” विषय पर कुल 08 सत्रों में साहित्य परिचर्चा आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के बाहर के 26 विद्वानों एवं जनजातीय साहित्यकारों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के 96 साहित्यकारों ने भाग लिया।





साहित्य महोत्सव अंतर्गत जनजातीय विशेषक विभिन्न पहलुओं पर किये जा रहे शोध कार्यों से संबंधित शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें विभिन्न सत्रों में कुल 107 विद्वानों शोधार्थियों द्वारा जनजातीय विषयक शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें 38 शोध पत्र राज्य के बाहर के तथा 82 शोध पत्र राज्य के स्थानीय शोधार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। संस्थान द्वारा शोधार्थियों से शोध पत्रों के सारांश प्राप्त कर शोध सारांश के रूप में प्रकाशित किया गया।



साहित्य महोत्सव अंतर्गत पुस्तक मेला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य एवं राज्य के बाहर से आये प्रतिष्ठित शासकीय एवं अशासकीय प्रकाशकों द्वारा जनजातीय विषयों पर आधारित पुस्तकों का प्रदर्शन सह विक्रय किया गया।



साहित्य महोत्सव अंतर्गत 03 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय कला एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 03 आयु समूहों में चित्रकला, माटीकला, छिन्दकला, शिल्पकला, बांसकला, शीसलकला, काष्ठकला, रजवार कला प्रतियोगिता में 238 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया।





जनजातीय साहित्य महोत्सव में जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के जनजातीय संस्कृति पर आधारित लोकनृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह एवं क्रांतिवीर गुण्डाधुर पर आधारित नाट्य का मंचन किया गया। आदिवासी नृत्यों की श्रृंखला में विभिन्न जनजातीय नृत्यक दलों द्वारा जनजातीय संस्कृति पर आधारित करमा, सैला, मड़ई, ककसार, कुडुख, गेड़ी, गवरसिंह, सोन्दो, कमार विवाह, मांदरी, डण्डा, सरहुल एवं डण्डार जनजातीय लोक नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया गया। साथ ही साथ जनजातियों में वर चुनने की परंपरा पर आधारित “लमझना” नाटक का मंचन किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का आयोजन :-

आजादी का 75 वाँ अमृत महोत्सव अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस दिनांक 21 जून 2022 का आयोजन कबीरधाम जिला स्थित भोरमदेव में किया गया। उक्त आयोजन में लगभग 3000 लोगों ने भाग लिया।



आभार आयोजन :-

आजादी का 75 वाँ अमृत महोत्सव अंतर्गत छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी जननायक / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की स्मृति में उनके गृह जिलों में आभार आयोजन निम्नानुसार किये गये :—



1. रायपुर संभाग के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रथम शहीद वीरनारायण सिंह की स्मृति में दिनांक 10 अगस्त 2022 को ग्राम—सोनाखान, जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा में आभार आयोजन कार्यक्रम कराया गया। उक्त कार्यक्रम अंतर्गत शहीद वीरनारायण सिंह के जीवन पर आधारित नाटक एवं आदिवासी नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस अवसर पर उनके परिवार के लोगों को सम्मानित किया गया तथा उनपर आधारित बुकलेट का वितरण किया गया।



2. बस्तर संभाग के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद गेंदसिंह की स्मृति में दिनांक 21 अगस्त 2022 को ग्राम—पंखाजूर, जिला—कांकेर में आभार आयोजन कार्यक्रम कराया गया। उक्त अवसर पर आदिवासी नृत्य की प्रस्तुतिकरण के साथ शहीद गेंदसिंह के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन किया गया। उपस्थित जनसमुदाय में उनके जीवन पर आधारित बुकलेट का वितरण किया गया तथा उनके परिवार के लोगों को सम्मानित किया गया।



विश्व आदिवासी दिवस में सहभागिता :-

राज्य शासन द्वारा दिनांक 09.08.2022 को आयोजित विश्व आदिवासी दिवस समारोह में संस्थान द्वारा सक्रिय भागीदारी दी गयी। उक्त आयोजन में संस्थान द्वारा देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले आदिवासी स्वतंत्रा संग्राम सेनानियों वीर शहीदों एवं उनके योगदान पर आधारित आदि विद्रोह (हिन्दी) एवं Tribal Revolt (अंग्रेजी) में प्रकाशित पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया।



उक्त अवसर पर संस्थान द्वारा राज्य के जनजातीय जीवनशैली, रीति-रिवाज, खान-पान, आदिमकला एवं विशिष्ट संस्कृति के विविध पहलुओं पर आधारित पुस्तकों छत्तीसगढ़ के जनजातीय व्यंजन, जनजातीय तीज-त्योहार, जनजातीय आदिमकला, बैगा एवं भुंजिया जनजाति में गोदना, घोटपाल मडई, भंगाराम जात्रा कॉफीटेबल बुक, 09 मानवशास्त्रीय अध्ययन, 16 मोनोग्राफ अध्ययन, 04 शब्दकोश वार्तालाप निर्देशिका, 03 अंग्रेजी भाषा में फोटोहैण्ड बुक एवं 05 चार्ट का विमोचन किया गया।





भाग - पाँच



फ्लैगशिप योजनाएँ

राजीव युवा उत्थान योजना

उद्देश्य :- निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा, बैकिंग परीक्षा, कर्मचारी चयन आयोग, रेल्वे भर्ती बोर्ड, छ.ग. व्यापम तथा अन्य संस्थानों द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पात्रता रखने वाले प्रतिभावान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराना एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है।

ट्रायबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली :- देश की राजधानी में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए राजीव युवा उत्थान योजन के तहत द्वारका, नई दिल्ली में विभाग द्वारा ट्रायबल यूथ हॉस्टल का संचालन किया जा रहा है। यह संस्था पूर्णतः आवासीय है। इस योजना अंतर्गत कुल 50 सीट्स स्वीकृत हैं एवं वर्ष 2021–22 में ड्रापर/रिपीटर बैच के अंतर्गत 15 अन्य सीटों को स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2020–21 में कोरोना संक्रमण के कारण अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही नहीं की जा सकी थी। वर्ष 2021–22 में योजना के माध्यम से कुल 49 अभ्यर्थी लाभान्वित हुए हैं। अब तक कुल 129 अभ्यर्थी विभिन्न पदों पर चयनित हुए हैं। वर्ष 2022–23 में अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपलब्धियां :-

क्र.	वर्ष	व्यय	लाभान्वित	चयनित
1	2019–20	48.02	48	14
2	2020–21	60.46		11
3	2021–22	67.50	49	परीक्षा परिणाम अपेक्षित है
4	2022–23	189.21		

राज्य स्तर पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र/कोचिंग :- वर्ष 2003 में यह योजना परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के नाम से संचालित थी। राजीव युवा उत्थान योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु 100 सीटे स्वीकृत हैं, इसके माध्यम से 50 सीट जिला रायपुर तथा 50 सीट जिला दुर्ग में प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। इसके अतिरिक्त बैकिंग, रेल्वे, व्यापम, एस.एस.सी. आदि जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, नारायणपुर एवं कबीरधाम में 100–100 सीट्स कुल 500 सीट्स स्वीकृत हैं।



उपलब्धियाँ :-

(1) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र (एस.एस.सी., बैकिंग, रेलवे एवं व्यापम) :-

क्र.	प्रशिक्षण केन्द्र	वर्ष	व्यय	लाभान्वित
1	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर	2018–19	36.11	100
2		2019–20	27.68	100
3		2020–21	कोरोना संक्रमण के कारण कोचिंग कार्य संचालित नहीं किया जा सका	
4		2021–22	—	—
5		2022–23	39.62	100
6	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, बिलासपुर	2018–19	13.88	100
7		2019–20	20.15	100
8		2020–21	कोरोना संक्रमण के कारण कोचिंग कार्य संचालित नहीं किया जा सका	
9		2021–22	—	—
10		2022–23	42.30	100
11	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, जगदलपुर	2018–19	9.76	100
12		2019–20	38.60	100
13		2020–21	कोरोना संक्रमण के कारण कोचिंग कार्य संचालित नहीं किया जा सका	
14		2021–22	—	—
15		2022–23	53.35	100
16	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, कबीरधाम	2018–19	20.61	100
17		2019–20	29.61	100
18		2020–21	कोरोना संक्रमण के कारण कोचिंग कार्य संचालित नहीं किया जा सका	
19		2021–22	—	—
20		2022–23	52.25	100
21	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, नारायणपुर	2018–19	15.85	100
22		2019–20	41.20	100
23		2020–21	कोरोना संक्रमण के कारण कोचिंग कार्य संचालित नहीं किया जा सका	
24		2021–22	—	—
25		2022–23	57.10	100

(2) राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी :-

क्र.	जिला	वर्ष	व्यय	लाभान्वित
1	रायपुर	2018–19	17.69	50
2		2019–20	कोरोना संक्रमण के कारण कोचिंग कार्य संचालित नहीं किया जा सका	
3		2020–21	कोरोना संक्रमण के कारण कोचिंग कार्य संचालित नहीं किया जा सका	
4		2021–22	31.19	
5		2022–23	35.21	100
6	दुर्ग	2018–19	21.06	41

अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2009 :- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2010–11 में प्रारंभ की गई। इस योजना अंतर्गत निम्नानुसार प्रावधान है :-

1. संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र।
2. यह राशि किसी भी प्रयास में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु दी जाती है।

इसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की किसी भी स्तर में होने पर संबंधित आयोग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र या अधिकृत दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने पर परीक्षण उपरांत नियमानुसार आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ.ग. रायपुर द्वारा स्वीकृत किया जाकर एक मुश्त राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है।

उपलब्धियाँ -

क्र.	वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2018–19	01	—
2	2019–20	01	—
3	2020–21	01	—
4	2021–22	01	01
5	2022–23	01	—



आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति प्री. मेडिकल तथा प्री. इंजीनियरिंग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (कोचिंग) योजना :-

विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 100 (अनुसूचित जनजाति—64, अनुसूचित जाति—36) प्रतिभावान विद्यार्थी, जो कक्षा 12वीं में 70 प्रतिशत से अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण है तथा ड्रॉप लेकर प्री. इंजीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, के लिए यह योजना बनाई गई है।

उपलब्धियाँ :-

क्र.	वर्ष	व्यय	लाभान्वित
1	2018–19	50.20	85
2	2019–20	49.24	100
3	2020–21	कोरोना संक्रमण के कारण कोचिंग कार्य संचालित नहीं किया जा सका	
4	2021–22	42.48	100
5	2022–23	42.48	

छात्रालय



नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन आदि सुविधा प्रदान कर संरक्षक की भूमिका निभाते हुए रोजगार में स्थापित कर जीवन में स्थायित्व पैदा करना इस योजना का उद्देश्य है। जब यह योजना 2010 में प्रारंभ हुई, उस समय बजट प्रावधान 200.00 लाख था। वर्ष 2022-23 में इस योजना हेतु राशि रूपये 3353.10 लाख का प्रावधान किया गया है। इस योजना के चार घटक निम्नानुसार हैं:-

1. आस्था

2. निष्ठा

3. प्रयास

4. सहयोग

- आस्था :** नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के लिए दन्तेवाड़ा जिले में आस्था गुरुकुल विद्यालय संचालित है। इस विद्यालय में कक्षा पहली से 12 वीं तक अध्ययन की निःशुल्क व्यवस्था है तथा पूरे वर्ष भर निःशुल्क आवासीय सुविधा दी जाती है। वर्ष 2007 में यह योजना प्रारंभ की गई थी, तब 64 विद्यार्थी थे। वर्ष 2022-23 में संस्था में बालक 88 एवं कन्या 106 कुल 204 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस योजना में विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन की सुविधाएं प्रदाय की जाती हैं।
- निष्ठा :** इस योजना के अंतर्गत नक्सल हिंसा में मृत माता-पिता के बच्चे / पीड़ित परिवार के बच्चे तथा प्रभावित ग्राम / क्षेत्र के बच्चे प्रदेश के राजनांदगांव जिले में निजी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। शासन द्वारा निजी संस्थाओं के प्रबंधन से चर्चा करके विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिलाया जाता है। जिला प्रशासन की अनुशंसा पर विद्यार्थी पर हुए कुल व्यय के 25 प्रतिशत शिक्षण शुल्क के रूप में राशि की प्रतिपूर्ति निजी संस्थाओं को की जाती है। वर्तमान में इस योजना के तहत नक्सल हिंसा प्रभावित ग्राम / क्षेत्र के वर्ष 2022-23 में 81 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। वर्ष 2020-21 से यह योजना बंद कर दी गई है, जिसके फलस्वरूप नये विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।
- स्व. राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय :** प्रदेश के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र सहित गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नक्सल प्रभावित जिले के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12तक हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी स्तर के अध्यापन के साथ-साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए/सीएस/सीएमए, कलैट, एनटीएससी इत्यादि की कोचिंग प्रदान कर इन विद्यार्थियों को स्वयं की प्रतिभा के बल पर सफल होने योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है। यह विद्यालय 26 जुलाई 2010 प्रारंभ हुई।

वर्तमान में रायपुर जिले में बालक एवं कन्या हेतु पृथक-पृथक प्रयास आवासीय विद्यालय सड़ू एवं गुढ़ियारी से संचालित है। इसके अतिरिक्त बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग, बस्तर, कांकेर, कोरबा तथा जशपुर जिलों में छात्र-छात्राओं हेतु कुल 09 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। इनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए इन्हे एक ही परिसर में रखकर स्कूली शिक्षा, कोचिंग इत्यादि की सुविधा प्रदान करते हुए इनके करियर को उज्ज्वल बनाने का प्रयास किया जाता है। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को अध्यापन एवं कोचिंग निजी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से प्रदान किया जाता है। उक्त कार्य दो चरणों में



प्रदान किया जाता हैं प्रथम चरण में कक्षा 9वीं/10वीं के अध्यापन के साथ विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग मेडिकल इत्यादि की बेसिक तैयारी करते हुए एन.टी.एस.सी. विज्ञान पहली, ओलपियाड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराकर उस परीक्षा में शामिल कराया जाता है। दूसरे चरण में कक्षा 11वीं/12वीं की स्कूली शिक्षा के साथ-साथ जेर्झी (मेन / एडवांस) तथा नीट/पी.ई.टी./पी.एम.टी./सी.ए./सी.एस., क्लेट इत्यादि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं की कोचिंग प्रदान की जाती है।

प्रयास आवासीय विद्यालयों के प्रारंभ से अब तक कक्षा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षाफल लगभग शतप्रतिशत रहा। वर्ष 2022 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कुल 979 विद्यार्थी शामिल हुए थे जिसमें 852 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए इस प्रकार प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 87 रहा है।

उपरोक्त परीक्षा परिणाम के अतिरिक्त सत्र 2012 से अब तक इंजीनियरिंग / मेडिकल की विभिन्न परीक्षाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	वैच	एनआईटी/समकक्ष में प्रवेशित	आईआईटी/समकक्ष में प्रवेशित	इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेशित	चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों में प्रवेशित
2010–12	प्रथम वैच	02	12	130	—
2011–13	द्वितीय वैच	01	20	45	01
2012–14	तृतीय वैच	0	08	81	03
2013–15	चतुर्थ वैच	06	07	84	03
2014–16	पंचम वैच	06	30	92	12
2015–17	छठवा वैच	08	40	96	08
2016–18	सप्तम वैच	18	17	85	—
2017–19	अष्टम वैच	11	41	82	08
2018–20	नवम वैच	18	51	77	04
2019–21	दशम वैच	27	35	61	05
2020–22	ग्यारहवां वैच	10	44	155	03
योग -		107	305	988	47

टीप :- विगत तीन वर्षों में सीए, सीएस, सीएमए, से 29 तथा क्लेट से 03 विद्यार्थी चयनित / प्रवेशित हुये हैं। प्रयास आवासीय विद्यालय में अधोसंरचनात्मक सुविधाएं एवं प्रबंधकीय व्यवस्था यथा- भवन, प्रांगण, आवास, मेस व्यवस्था, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा कम्प्यूटर लैब इत्यादि की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाती है। जबकि अध्यापन तथा कोचिंग की व्यवस्था ऑफिट-सोर्सिंग के माध्यम से की जाती है। इस विद्यालय में अध्यनरत विद्यार्थियों को आवास, भोजन, गणवेश तथा अध्ययन एवं कोचिंग की सुविधा पूर्णतः निःशुल्क प्रदान की जाती है।

प्रयास विद्यालय की सफलता को देखते हुए निम्नानुसार कार्य भी संपादित किये जा रहे हैं :-

- प्रयास विद्यालय के आई.आई.टी. में प्रवेशित विद्यार्थियों को 40 हजार रुपए प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रोत्साहन स्वरूप आगामी शिक्षा प्राप्त करने हेतु दिया जाता है।
- आई.आई.टी. एवं एन.आई.टी. में प्रवेशित विद्यार्थियों को लैपटॉप / लैपटाप हेतु राशि प्रदान की जाती है।



4. सहयोग :- मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के इस घटक अंतर्गत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे उच्च अध्ययन कर रोजगार प्राप्त कर सके। अनाथ बच्चों को पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई के दौरान शिक्षण शुल्क एवं आने-जाने के व्यय आदि की प्रतिपूर्ति की जाती है।



प्रयास आवासीय विद्यालय दुर्ग (छ.ग.) के छात्र



प्रयास आवासीय विद्यालय कांकेर (छ.ग.) की छात्राएं



प्रयास आवासीय विद्यालय विलासपुर (छ.ग.) के छात्र-छात्राएं



बालक प्रयास आवासीय विद्यालय सड़क, रायपुर के छात्र प्रयोगशाला में



प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुडियारी, रायपुर (छ.ग.) की छात्राएं कम्प्यूटर कक्ष में



बालक प्रयास आवासीय विद्यालय सड़क, रायपुर के छात्र



आर्यभट्ट विज्ञान-वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना

नक्सल हिंसा से प्रभावित प्रदेश के जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के शिक्षकों के पद रिक्त रह जाते हैं क्योंकि इस वर्ग के विद्यार्थियों की रुचि विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में कम है। अतः इन वर्ग के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के अध्ययन एवं अध्यापन को प्रोत्साहित करने हेतु विभाग द्वारा दुर्ग एवं जगदलपुर में 500–500 सीटर विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। इन क्षेत्रों में शिक्षकों की पूर्ति हेतु वर्ष 2013–14 से यह अभिनव योजना प्रारंभ की गई है।

इसके अंतर्गत स्नातक स्तर पर गणित विषय हेतु 80, जीव विज्ञान हेतु 80, वाणिज्य हेतु 40 सीटें हैं। स्नातकोत्तर कक्ष में विज्ञान हेतु 80, वाणिज्य हेतु 20 सीटें हैं। बी.एड. हेतु कुल 200 सीट स्वीकृत हैं।

योजना अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों जिन्होंने ने स्नातक–स्नातकोत्तर शिक्षा विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के साथ जारी रखी है, उन्हें शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्री.बी.एड. तथा टी.ई.टी. परीक्षा हेतु मार्गदर्शन एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जाता है।

वर्ष 2022–23 में जिला दुर्ग में 500 बालिकाएं प्रवेशित हैं तथा जिला जगदलपुर विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र में 174 बालक प्रवेशित हैं। वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 222.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।



आर्यभट्ट विज्ञान-वाणिज्य विकास केन्द्र, दुर्ग (कन्या)

विज्ञान वाणिज्य विकास केन्द्र (कन्या), जिला- दुर्ग एवं (बालक) जिला- जगदलपुर

क्र.	जिला	वर्ष	नवीन प्रवेशित (प्रथम वर्ष)		नवीनीकरण की संख्या		कुल अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की संख्या
			छात्र	छात्राएँ	छात्र	छात्राएँ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दुर्ग	2021-22	0	146	0	354	500
2	जगदलपुर	2021-22	31	0	143	0	174

जिला :- दुर्ग

गणित	स्नातक		स्नातकोत्तर		बी.एड.	योग
	विज्ञान	वाणिज्य	एम.एस.सी.	एम. कॉम		
88	122	53	106	25	106	500

जिला :- जगदलपुर

गणित	स्नातक		स्नातकोत्तर		बी.एड.	योग
	विज्ञान	वाणिज्य	एम.एस.सी.	एम. कॉम		
35	62	38	21	10	08	174

टीप:- अब तक कुल 315 छात्राएँ बी.एड उत्तीर्ण कर चुकी हैं, जिनमें से कुल 12 छात्राओं की नियुक्ति व्याख्याता पंचायत के रूप में हुई है। अन्य छात्राएँ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं।



अन्य योजनाएं

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

यह भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित योजना है। अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए “मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम” (संशोधित योजना का नाम—प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) को जशपुर जिले में लागू किया गया है। योजनान्तर्गत जशपुर जिले के 05 विकासखण्ड (जशपुर, मनोरा, दुलदुला, कुनकुरी एवं कांसाबेल) को अल्पसंख्यक विकासखण्ड के रूप में चयनित किया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के असंतुलन को कम करने एवं इस समुदाय के सदस्यों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई इस योजना में केन्द्रांश 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत है।

इस योजना के अंतर्गत शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पक्के आवास, सड़क पेयजल, आय के अवसर उत्पन्न करने वाली योजनाओं के बीच की कमी को भरने एवं अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

योजनान्तर्गत कुल 924 कार्य स्वीकृत हैं। जिसमें 727 कार्य पूर्ण, 17 कार्य प्रगतिरत एवं 180 कार्य अप्रारंभ हैं। केन्द्रांश राशि रु. 2300.11 लाख एवं राज्यांश रु. 1171.86 लाख, इस प्रकार कुल रु. 3471.97 लाख जिला जशपुर को योजना के क्रियान्वयन हेतु पुनराबंटित की गई है।

आदर्श छात्रावास भवन के रूप में उन्नयन

माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुपालन में बस्तर, रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर एवं दुर्ग संभाग की अनेक संस्थाओं का आदर्श छात्रावास के रूप में उन्नयन किया गया है, ताकि बच्चों को एक बेहतर वातावरण में शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। वित्तीय वर्ष 2021–22 में सरगुजा संभाग के 04 जिले क्रमशः सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर एवं कोरिया में प्रत्येक जिले में 10 छात्रावास/आश्रम एवं जशपुर जिले में 12 छात्रावास/आश्रम कुल 52 संस्थाओं को तथा कोरबा जिले में 12 एवं GPM (गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही) में 06, इस प्रकार कुल 70 संस्थाओं को आदर्श छात्रावास के रूप में उन्नयन किया जाना क्रियान्वित किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2022–23 में जिला मुंगेली, बलौदाबाजार एवं बेमेतरा में 5–5, जिला दुर्ग, रायगढ़ एवं रायपुर के 10–10 तथा जिला बालोद, बिलासपुर, जांजगीर—चांपा, महासमुंद, कबीरधाम एवं राजनांदगाव की 8–8 संस्थाओं, इस प्रकार कुल 93 छात्रावास/आश्रम शाला भवनों को आदर्श संस्था में उन्नयन किए जाने हेतु जिले को निर्देश जारी किए गए हैं। छात्रावास/आश्रम शाला भवनों के आदर्श रूप में उन्न्यन हेतु राशि रु. 2325.00 लाख की स्वीकृति विभाग द्वारा की गई है। कार्यों को पूर्ण करा लिया गया है। संस्थाओं को आदर्श संस्था के रूप में उन्नयन किए जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।



अल्पसंख्यक समुदाय के कबिस्तान में अहाता निर्माण

योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि रु. 150.00 लाख का प्रावधान है। प्रावधानित राशि में से राशि रु. 148.08 लाख जिलों को पुनरावंटित किया गया है।

छोड़छोड़





અપ્ત - એ:



सारांश

छत्तीसगढ़ संविधान की 5वीं अनुसूची में समिलित राज्य है। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत से अधिक भू-भाग अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है। अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या का लगभग 57 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का है। संविधान की पाँचवीं अनुसूची में वर्णित अधिकारों एवं आदिवासी क्षेत्रों के हितों का संरक्षण विभाग का प्रमुख दायित्व है। विभाग प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नति के साथ-साथ उनके सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन तथा सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही विभाग अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए योजनाबद्ध तरीकों से अनेक योजनाओं का सतत क्रियान्वयन कर रहा है। परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रों में आशातीत सफलताएँ मिली हैं। राज्य बनने के पश्चात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सांस्कृतिक विरासत तथा आस्था स्थलों के संरक्षण एवं विकास को चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है। जनसंख्या के अनुपात में विविध समस्याओं एवं आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में इन वर्गों के सर्वांगीण विकास को मूर्त रूप प्रदान करना विभाग की मुख्य प्राथमिकता रही है। इस हेतु विभाग द्वारा अनेक अभिनव योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। शैक्षणिक उत्थान के साथ स्वरोजगारमूलक योजनाओं के माध्यम से आर्थिक आत्म निर्भरता तथा सामाजिक समरसता स्थापित करना विभाग का लक्ष्य है। राज्य के आदिवासी अंचलों के शैक्षिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। विशिष्ट संस्थाओं के रूप में क्रीड़ा परिसर एवं एकलव्य जैसे आवासीय विद्यालय के संचालन से इन वर्गों के छात्र-छात्राओं की प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है। वहीं राज्य मुख्यालय पर 'प्रयास' जैसी संस्था के संचालन से नक्सल प्रभावित जिलों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को बेहतर कॅरियर निर्माण हेतु नए अवसर खुले हैं। प्रयास विद्यालय के छात्रों की उल्लेखनीय उपलब्धियों ने बस्तर तथा सरगुजा जैसे प्रदेश के उत्तर तथा दक्षिण में स्थित जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के शैक्षणिक विकास को नई दिशा प्रदान की है तथा इन दूरस्थ जनजातीय अंचलों के विद्यार्थियों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के प्रति विशेष जागृति उत्पन्न की है। रायपुर स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय की सफलता को देखते हुए विभाग द्वारा संभागीय मुख्यालय जगदलपुर, अम्बिकापुर, दुर्ग और बिलासपुर तथा जिला मुख्यालय कांकेर तथा कोरबा, जशपुर जिलों में भी 'प्रयास' आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। विभाग अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान में सहयोग हेतु अनेक योजनाएँ संचालित कर रहा है। विभागीय शिक्षण संस्थाओं तथा छात्रावास/आश्रमों में शिक्षा के क्षेत्र में सूचना तकनीक आधारित शिक्षण/स्मार्ट क्लास/कम्प्यूटर विद्या को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि विद्यार्थी वर्तमान क्षेत्र की शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों से भिजा होकर एवं दक्षता प्राप्त कर प्रतिस्पर्धात्मक बन सके।



आदिवासी उपयोजना के माध्यम से भी विभाग आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कटिवद्ध है। इन क्षेत्र में आदिवासियों के व्यापक हित में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं, माडा तथा विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों के माध्यम से जनजातियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें स्थानीय आदिवासी जनप्रतिनिधि भी नामांकित किए गए हैं ताकि वे क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं का जनजाति समुदाय के हित में निर्धारण कर सकें। जिससे विभिन्न विकास विभागों के उपयोजना कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकें। आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों तथा आदिवासी बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थानीय विकास व अधोसंरचना निर्माण के कार्यों को गतिशील करने के लिए राज्य में बस्तार विकास प्राधिकरण एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण के साथ-साथ नवगठित मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के माध्यम से स्थानीय विकास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु अनुकरणीय प्रयास हुए हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति उपयोजना तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों/ग्रामों का विकास किया जा रहा है। प्रदेश के वर्तमान औद्योगिक/आर्थिक परिदृश्य के अनुक्रम में विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार मूलक कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण संबंधित क्षेत्र में कार्यरत विशेष संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी स्वरोजगार मूलक योजनाएं संचालित कर रहा है जिसमें वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

अनुसूचित वर्गों की अस्मिता तथा सम्मान के प्रति विभाग प्रारंभ से ही सजग रहा है। इसी के फलस्वरूप सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में आदिवासी संग्रहालय आकार ले रहा है तथा देश के स्वतंत्रता संग्राम में प्रदेश से अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी वीर नारायण सिंह की पावन स्मृति में प्रदेश के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को दर्शाने हेतु स्मारक सह संग्रहालय की भी स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार नया रायपुर में गुरु घासीदास संग्रहालय एवं शोधपीठ स्थापना की घोषणा भी की गई है। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में भी विभाग द्वारा विभिन्न शासकीय कार्यकलाप एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। शालाएं और छात्रावास/आश्रम बंद होने के कारण छात्र/छात्राओं को ऑनलाईन शिक्षण/कोचिंग के माध्यम से अध्यापन तैयारी कराई जा रही है। इसके फलस्वरूप विभाग की फ्लैगशिप योजना के अनतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम तथा विभिन्न प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम उत्कृष्ट रूप से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कोविड-19 उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में बदलने में विभाग तत्परतापूर्वक कार्य कर रहा है।



विकास की असीम संभावना से युक्त छत्तीसगढ़ राज्य को विकास पथ पर अग्रसर करने हेतु आदिवासी हित में बेहतर कार्य करने की प्रतिबद्धता एवं प्रबल इच्छाशक्ति से अभिप्रेरित होकर और पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए नीतियों, योजनाओं एवं तौर-तरीकों में परिवर्तन/परिमार्जन का भी प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी विकास परियोजनाओं, माडा तथा अभिकरणों की स्वशासी समितियों तथा जनजाति सलाहकार परिषद् के मार्गदर्शन में अभिनव योजनाओं का निर्माण एवं संचालन इस विभाग द्वारा किए गए नवाचार के प्रमाण हैं। यह ही नहीं अब शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदाय की विशिष्ट उपलब्धियों को रेखांकित किया जाने लगा है। इन समुदायों को समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु समावेशी विकास की इस यात्रा में विभाग हितप्रहरी के रूप में चुनौतियों को सामना करते हुए निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर है।

प्रकल्प





आदिम जाति विकास विभाग
अनुसूचित जाति विकास विभाग
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग